

Letter No. : NGT-273 /81-7-2021-44(Writ)/2016 T.C-2

From;

Bharat Prasad,
Deputy Secretary,
Department of Environment, Forest &
Climate Change, Govt. of Uttar Pradesh.

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg, New Delhi.

**Environment, Forest & Climate
Change Section-7**

Lucknow : Dated : 30/07/2021

Sub : Compliance Report of State Government of Uttar Pradesh in pursuant to the order dated 08-02-2021 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

Sir,

In Compliance of order dated 08-02-2021 passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh, the consolidated Compliance Report of State of Uttar Pradesh is enclosed and being submitted by the undersigned.

It is requested that the consolidated Compliance Report of State of Uttar Pradesh may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl : As above.

Yours sincerely



(Bharat Prasad)

Deputy Secretary.



Compliance Report of directions issued by Hon'ble NGT order dated 08-02-2021 in the matter of O.A. No. 985/2019 with O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh.

1. That the Environment, Forest and Climate Change Department, Government of Uttar Pradesh has submitted the Compliance report of Order dated 16.07.2020 passed in the captioned matter on 04.02.2021 stating the progress regarding works related to remediation of chromium contaminated site at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, preparation of Action Plan for Restoration of Environment and Public Health at Rania, Khanchandpur, Kanpur Dehat, Health Survey in affected areas, Recovery of Environmental Compensation from units responsible for pollution due to Chromium Dump in Rania, Potable Water Supply for the residents of affected areas etc.
2. That Hon'ble Tribunal took up the matter on 08.02.2021 and reviewed the compliance status submitted by the State, Oversight Committee and submission of learned Amicus Curiae and passed certain directions regarding taking up prompt actions for compliance of directions passed vide earlier orders dated 15.11.2019. The relevant portion of the directions are reproduced below:
“.....11. Accordingly, in the light of above discussion, the State of UP may take further remedial action. Remediation of hazardous waste sites departmentally may be explored, as tender process has



not succeeded in the last several years and the dump sites have been in existence for the last 45 years which continue to be hazard to the lives of the inhabitants. The additional sites pointed out above may also be remediated. This needs to be tackled on emergency basis at the highest level in the State and monitored at the level of the Chief Secretary and also the Oversight Committee. CPCB may be consulted in the process for the remedial action which should be as per rules. The action plan may also ensure provision for water supply to all affected areas. Further, it must be ensured that contamination does not affect the food chain. The stand of the State of UP with regard to compensation is not as per earlier order dated 15.11.2019, para 13. If the amount is not recovered from the companies for want of effective legal steps for recovery within reasonable time, liability of the State for its negligence and inaction will continue.


12. The report discussed above, only relates to scientific disposal of chromium dumps at three locations. Nothing is mentioned about the second issue of continued pollution by tanneries as well as discharge of untreated sewage into the irrigation canals and drains at and around Jajmau. Requisite remedial action may now be taken expeditiously and a report furnished alongwith the further action taken report on remediation of dump sites with compliance status as on 30.06.2021, by 15.07.2021 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF..”



3. That the Chief Secretary, Government of U.P. has given directions to the Additional Chief Secretary, Urban Development Department, Additional Chief Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department, Additional Chief Secretary Medical, Health and Family Welfare Department vide letter dated 25.02.2021 to ensure the compliance of directions passed by Hon'ble NGT vide order dated 08.02.2021. Copies of the letter dated 25.02.2021 are enclosed herewith and marked as **Annexure No. 1, 2 & 3.**
4. Further, the Chief Secretary, Government of U.P. has also reviewed the status of compliance with officials of concerned Departments through review meetings dated 02.12.2020, 21.12.2020 and 28.01.2021. The Chief Secretary, Government of U.P. has also been regularly reviewing the status of compliance of orders of Hon'ble NGT every third Monday of the month. During this review this case is also reviewed from time to time. Copies of the minutes of meetings dated 02.12.2020, 21.12.2020 & 28.01.2021 are enclosed herewith and marked as **Annexure No. 4, 5 & 6.**
5. That Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA) has invited e-tenders three times for disposal of chromium waste dumped near Village Khanchandpur, Rania, but only one bid was received and the cost mentioned by bidder was more than the estimated cost in the DPR prepared by CPCB. Therefore, the bids were not approved.




6. That UPSIDA has informed that Indian Institute of Technology, Kanpur (IIT, Kanpur) has given acceptance to provide consultancy regarding tender conditions and cost estimations.
7. That Oversight Committee constituted by Hon'ble NGT has reviewed the status of compliance of the directions regarding lifting and remediation of Chromium waste dumped at Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat and Environmental Compensation imposed against the erring industries on 15.07.2021 was discussed and following progress has been observed:
 - a. UPSIDA informed that IIT Kanpur has been appointed as the Project Management Consultant (PMC) for this purpose on 02.02.2021. As per the preliminary report it will take 12 months for the remediation of chromium waste from the date the work is started but before that some formalities have to be completed. This entire process will consist of digging the chromium legacy waste from dumping site, creation of sanitary landfill in the nearby area, treatment and dumping of waste in landfill site and lastly plantation of saplings on the landfill site. However, the work will start only after the technology, volume and cost are finalized and the work is awarded through a competitive bidding process.
 - b. UPSIDA has also informed that the PMC has suggested that land availability in the vicinity of the dump for creation of landfill sites is mandatory and precursor to the process. Accordingly, Gram Samaj land has been identified and proposal has been sent to the DM Kanpur Dehat for resumption



of land and handing it over free of cost for this project. Further, as per the report of the IIT-Kanpur, the actual volume of Chromium waste lying at the site is much higher (1,22,800 m³) in comparison to the volume reported in the earlier DPR of the CPCB (37,712 m³). Moreover, as per CPCB, the area of dump at the site is 37,000 m² while as per IIT Kanpur the area is 50,312 m². A decision has been taken to ascertain the correct quantity of Chromium Dump after discussion between the CPCB and IIT-Kanpur as it has a direct bearing on the final cost of the project. Thereafter, the prior budgetary approval will be obtained from the government. The Committee expressed its deep concern about the delay in executing the order of the Hon'ble NGT and directed UPSIDA to submit a timeline for all the activities right from the on-going preparation of the project to its completion for facilitating a proper and productive monitoring by the Committee. The Oversight Committee also directed the UPSIDA to implement this project in Mission Mode as it has a direct adverse impact on the health of the local inhabitants and the environment.

- c. That it is submitted that UP Pollution Control Board had imposed Environmental Compensation of Rs. 280.01 Crore against 06 defaulting industries on 19-11-2019 and Recovery Certificates (RCs) against the above 06 defaulting industries were issued as submitted in the previous compliance report. It is further submitted that the industries responsible for illegal dumping of chromium waste had filed Original Application




Nos. 18, 19, 20, 21 and 22 of 2020 before Hon'ble Tribunal for getting relief against imposition of environmental compensation by Uttar Pradesh Pollution Control Board. That Hon'ble Tribunal has disposed off all the connected cases vide its order dated 28.01.2020 with the following direction:-

"Without expressing any opinion on merits, we direct that the impugned orders may be treated as a proposal with reference to which the applicants may furnish their response to the UP State PCB within two weeks. The UP State PCB may consider the objections of the applicants and pass an appropriate order within four weeks thereafter dealing with the matter on merits, in accordance with law".

In compliance of Hon'ble NGT order dated 04.01.2021, UP Pollution Control Board has again given due opportunity to the appellants and the hearing was done on 16.03.2021. Industries have to submit some more information in this regard. After following the due process of law appropriate orders will be passed by the UPPCB. The next date of hearing is 20.08.2021.


That the ESCROW account has been opened by District Magistrate Kanpur Dehat, for deposition of funds to be utilized for removing the dumped hazardous waste and restoration of the environment and the public health. State Government has transferred amount of Rs 23.44 Crore to the ESCROW account on 27.03.2020. The rest amount for



remediation of chromium dump site Khanchandpur, Rania, Kanpur Dehat, could not be deposited in the ESCROW account due to non-recovery of Environmental Compensation imposed against the 06 industries, as they have obtained stay from the Hon'ble NGT on 28.01.2020 and 04.01.2021.

8. That Piped Water Supply (PWS) to the residents of affected area of Rakhi Mandi, Kanpur Nagar was commissioned on 15.01.2020. Safe Water Supply through PWS is being provided since then continuously to inhabitants of the affected area through 2510 meter pipe line and 225 household connections.
9. That supply of safe water to the residents of village Khanchandpur, Rania through Piped Water Supply System has been started since 15th July, 2020.
10. That in compliance to the directions regarding health survey in affected areas, the Expert Committee constituted by Hon'ble Tribunal has submitted its preliminary assessment report after visiting the sites along with the methodology for Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures on 28-12-2019. Final report of Committee regarding Comprehensive Baseline Assessment and Mitigation Measures is awaited.

The Chief Secretary, Government of U.P. has directed vide letter dated 25.02.2021 to Additional Chief Secretary, Medical Health and Family Welfare Department to submit the Credible Health Study Report incorporating edible food safety and health in affected Khanchandpur Rania, Kanpur Dehat and Rakhi Mandi, Kanpur area.




Director, Medical and Health Services, UP has submitted status report regarding Health Camps conducted in these areas and their outcome vide its letter dated 28.07.2021 stating that in village Khanchandpur health camps were organized from August 2020 to July 2021 and no signs of the adverse health effects of chromium were found on the 818 patients examined during health camps. Director, Medical & Health Services has also informed that in Rakhi Mandi and Jajmau Kanpur health camps were organized from March 2020 to April 2021 and again in July 2021 and no signs of the adverse health effects of chromium were found on the 1124 patients examined during health camps. The copy of the letter dated 25.02.2021 and letter dated 28.07.2021 are enclosed herewith and marked as **Annexure No. -3, 7**

11. During the hearing, it is pointed out by learned Amicus that from the website of the UP State PCB it is clear that apart from the above hazardous dump sites, there are other dumps as follows:-

1. Nauraiya Khera-Kanpur
2. Juhi Bahuraiya-Kanpur
3. Panki Industrial Area – Kanpur
4. India Pesticides Ltd, Deva Road- Lucknow

That it is submitted that at present no hazardous waste is dumped at all the above four sites. Piped water supply system is operational in Panki, Kanpur through PWS by U.P. Jal Nigam. Ground water is not used for irrigation in these area, so the possibility of affecting food chain is negligible.




The Chief Secretary, Govt of UP has directed vide its letter dated 25-02-2021 to Additional Chief Secretary, Infrastructure and Industrial Development Department for taking necessary steps for remediation of the first three sites in consultation with Central Pollution Control Board. Copy of letter dated 25.02.2021 is enclosed herewith and marked as **Annexure no. 2**

That it is submitted that at the Fourth Site M/s India Pesticides Ltd. Deva Road, Lucknow, the industry has submitted the short study report comprising ground water analysis at 13 locations done by Indian Institute of Toxicology and Research, Lucknow in April 2021, which shows that pesticides concentration and ground water is within permissible limit at all the 13 locations. As the ground water is not having pesticides concentration above the standards, so the possibility of affecting food chain is negligible.

Relevant part of the study report is enclosed herewith and marked as **Annexure No. 8**

12. That it is further submitted that the CETP at Jajmau, Kanpur is having capacity of 36 MLD to treat (combined effluent in ratio of 1:3) 9 MLD Tannery effluent & 27 MLD domestic sewage effluent. All the tannery units discharge primary treated effluent through conveyance channel, which is further pumped through 4 pumping stations into 36 MLD CETP designed to treat mixed effluent consisting of 9 MLD tannery effluent and 27 MLD domestic sewer.




That the maintenance of conveyance channel, pumping stations and operation of CETP is done by Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur. The treated CETP effluent gets further diluted with treated effluent of 130 MLD, 43 MLD and 5 MLD STP at the premises of CETP Jajmau before finally discharged into irrigation channel for irrigation. The STPs are also operated and maintained by operator M/s Kanpur River Management Pvt Ltd, Kanpur selected by UP Jal Nigam.


13. That it is further submitted that there is no separate sewerage network in Jajmau area, where all the tannery units are situated, so untreated domestic sewage generated from Jajmau area also gets mixed with industrial effluent goes through conveyance channel into CETP.

Also, in case the pumping stations are not operated continuously and effectively, then incidences of overflow getting discharged through nearby drains directly into river Ganga do occur. U.P. Pollution Control Board has taken action against the tannery units as well as operator of CETP whenever such incidences have been noticed. The details of action taken against the defaulters are summarized in subsequent paras.

14. That, it is submitted that keeping the above aspect into consideration, U.P. Pollution Control Board has taken following measures to reduce the chances of overflow from pumping stations as well as excess effluent going into CETP.




- a. U.P. Pollution Control Board issued guidelines vide letter dated 08.06.2019 to assess the infrastructure of tannery units according to their permitted capacity in order to restrict tannery units to operate as per their permitted capacity.
- b. The process of tanning operation in tannery unit is such that there is no continuous flow generation from the process and it is more in the nature of batch process, so tannery effluent generated from tannery units gets discharged after accumulation of effluent for 2 to 3 days. This in turn results into excess flow generated from the tannery units at a particular point of time than the permissible discharge calculated on Kl/day basis, whenever it is discharged after completion of batch process. U.P. Pollution Control Board restricted the overall capacity of each tannery unit first upto 80% of its consented capacity in order to reduce the chances of excess flow going to pumping stations and subsequently to CETP inlet. But this step was also not found to be adequate as excess flow was still noticed at each pumping stations and CETP inlet due to inseparable domestic effluent up to 10.02 MLD, as well as batch process of tannery units. Therefore, U.P. Pollution Control Board restricted the overall processing capacity of each tannery unit further to 50% of its consented capacity in order to reduce the chances of excess flow going to pumping stations and subsequently to CETP inlet.




- c. U.P. Pollution Control Board implemented roster of operation of tannery units attached to different pumping stations. As per this roaster tannery units attached to pumping station 1 and 3 are operated for first 15 days of the month and tannery units attached to pumping station 2 and 4 are operated for next 15/16 days of the month.
 - d. Each tannery unit has installed flow meter at the outlet of PETP with connectivity to CPCB and UPPCB server.
 - e. U.P. Pollution Control Board is regularly monitoring the effluent quality of different conveyance channels before reaching pumping stations and it has been directed that if any default is noticed then coercive action will be taken against all the tannery units existing in upstream of that location.
 - f. Surprise checks are done by UPPCB and Inter Departmental Teams as well as Third Party Institutions like IIT, HBTU, PCCRI, NEERI from time to time and actions are taken against the defaulter units.
15. That U.P. Pollution Control Board has taken action from time to time, whenever tannery effluent overflow to Ganga river was found at Pumping Stations operated by Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur. The details of action taken from time to time is summarized as below-

S.No.	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
1.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 251 tannery	18.11.2018	Non availability of sewage at inlet of CETP for dilution due



S.No.	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
	units		to maintenance of trunk sewer line.
2.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 19 tannery units	26.12.2018	Overflow from pumping station no.-4 (Budhiyaghat)
3.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 09 tannery units	31.12.2018	Over capacity production.
4.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 91 tannery units	06.01.2019	Overflow from pumping station no.-3 (Wajidpur)
5.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 114 tannery units	09.01.2019	Overflow from pumping station no.-2 (Sheetla bazar)
6.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 122 tannery units	01.10.2019	Non availability of sewage at inlet of CETP for dilution due to maintenance of trunk sewer line.
7.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 02 tannery units	17.08.2020	Over capacity production.
8.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 05 tannery units	11.12.2020	Over capacity production.
9.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 09 tannery	01.01.2021	To prevent overflow from pumping station no.-4 (Budhiyaghat)




S.No.	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
	units		
10.	Direction for Closure and disconnection of electricity of 95 tannery units	18.03.2021	Over flow from Pumping Station 3 (Wajidpur) and operation of tannery units during closure roster period.
11.	Environmental Compensation of Rs 2.37 Crore imposed against 211 defaulter tannery units in compliance of Hon'ble NGT order out of which Environmental Compensation of Rs. 70.62 Lac has been recovered from 169 tannery units. Recovery Certificate for recovery of Environmental Compensation of Rs 1.13 Crore has been issued by District Administration against 01 unit.		

UPPCB issued closure order against 122 tannery units which were operating at that time when sufficient dilution water was not available at CETP due to non functioning of 130 MLD and 05 MLD STP, Jajmau by U.P. Jal Nigam. It is also to be noted that tannery effluent containing toxic Chromium after treatment through CETP goes to irrigation channel for ultimate use in agriculture.

16. That, it is further submitted that Board has imposed Environmental Compensation against the operator of CETP and STP i.e. Ganga Pollution Control Unit, U.P. Jal Nigam, Kanpur/ M/s Kanpur River Management Pvt Ltd, Kanpur from time to time on the basis of different defaults. The details of action taken is summarized in the table form as below :-

S.No.	Action Taken	Date	Reason of Action Taken
1.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 2.5 Lac	25.04.2019	Discharge of untreated sewage to Ganga river due to damage in sewer line and not pumping sewer to STP of 130 MLD, 43 MLD and 5 MLD at Jajmau, Kanpur.
2.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 1.5 Lac	04.06.2019	Discharge of untreated sewage from 130 MLD and 43 MLD STP Jajmau, Kanpur.
3.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 1.5 Lac	01.01.2021	Due to not achieving the standards at the outlet of 36 MLD CETP, Jajmau, Kanpur
4.	Imposition of Environmental Compensation of Rs 11.25 Lac	04.06.2021	Discharge of untreated sewage from 130 MLD.

17. That U.P. Pollution Control Board is regularly monitoring the status of tapping of drains and functioning of STPs in Jajmau and Kanpur. It is further submitted that U.P. Pollution Control Board has prosecuted 04 erring officials (03 Assistant Engineer and 01 Junior Engineer) of U.P. Jal Nigam under section-43/44 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 in Hon'ble Special Court (Air and Water Pollution Control) Lucknow on 18.03.2021 after getting due permission under section 197 of Cr.PC from the State Government for not ensuring complete tapping of 26 drains of



Kanpur Nagar through STPs as well as not discharging treated sewage from 05 MLD STP and 130 MLD STP at Jajmau, Kanpur within prescribed standards.

18. That it is also relevant to submit here that in order to improve the treatment capacity of existing tannery units of Jajmau, Kanpur, Central Government has taken effective initiation and for Jajmau Tannery cluster, National Mission for Clean Ganga, New Delhi has approved 20 MLD CETP (dilution based) as per NGT direction worth Rs. 554 Crore. The proposal was consented by the tannery association and the Government of Uttar Pradesh. The Special Purpose Vehicle (SPV) of member tannery units has committed to contribute Rs. 25 crore and has proposed to bear the estimated cost of Rs. 137 Crore for modified Primary Effluent Treatment Plant (PETP). Rest 392 Crore will be borne by National Mission for Clean Ganga (NMCG).

That the SPV has allotted the work of construction of CETP to M/s VA Tech Wa Bag Ltd. after finalizing the tender and estimated time of completion is March 2022. The new CETP is being constructed in the same premises of existing CETP and the treated effluent is proposed to be used for irrigation after dilution with treated STP effluent. After the construction of new 20 MLD CETP, all the existing tannery units in Jajmau cluster will be able to start production at full capacity.




19. That it is submitted that Government of Uttar Pradesh is committed, towards maintaining the water quality & flow of river Ganga and for ensuring compliance of orders of Hon'ble Tribunal.

The above compliance report is being placed for consideration of this Hon'ble Tribunal.

LUCKNOW

DATED: 30.07.2021



(Bharat Prasad)

Deputy Secretary,
Environment, Forest and
Climate Change Department,
Government of Uttar Pradesh

File No.81-7005(099)/245/2020-07-

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-111(2)/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी.सी.-2
लखनऊ : दिनांक : 25 फरवरी, 2021

अपर मुख्य सचिव,
नगर विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....12. The report discussed above, only relates to scientific disposal of chromium dumps at three locations. Nothing is mentioned about the second issue of continued pollution by tanneries as well as discharge of untreated sewage into the irrigation canals and drains at and around Jajmau. Requisite remedial action may now be taken expeditiously and a report furnished alongwith the further action taken report on remediation of dump sites with compliance status as on 30.06.2021, by 15.07.2021 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 04.08.2021."

मा० एन०जी०टी० के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 08.02.2021 के अनुपालन में जाजमऊ कानपुर से जनित सीवेज को बिना शुद्धिकरण के इरीगेशन चैनल एवं ड्रेन्स में निस्तारित होने से रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। मा० एन०जी०टी० द्वारा कृत कार्यवाही के प्रगति की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है तथा दिनांक 30.06.2021 तक कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या उ०प्र० राज्य की ओर से मा० अधिकरण में दिनांक 15.07.2021 तक दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये है।

3- अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त वर्णित आदेश दिनांक 08.02.2021 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 01.07.2021 तक मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (email-soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध करायी जाये।

Digitally signed by
राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date:Wed Feb 24 14:14:53 IST
2021
Reason:Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-एन.जी.टी.-111(3)/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी.सी.-2, तददिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी34995/सी-2/एन.जी.टी.-46/2021, दिनांक 16.02.2021 के संदर्भ में।
- 3- गार्डफाइल।

आज्ञा से,


(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

File No.81-7005(099)/245/2020-07-

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-111/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी.सी.-2
लखनऊ : दिनांक : 25 फरवरी, 2021

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,
उ०प्र० शासन।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....9. During the hearing, it is pointed out by learned Amicus that from the website of the UP State PCB it is clear that apart from the above hazardous dump sites, there are other dumps as follows:-

1. Nauraiya Khera-Kanpur
2. Juhi Bahuraiya-Kanpur
3. Panki Industrial Area – Kanpur
4. India Pesticides Ltd, Deva Road- Lucknow

11. Accordingly, in the light of above discussion, the State of UP may take further remedial action. Remediation of hazardous waste sites departmentally may be explored, as tender process has not succeeded in the last several years and the dump sites have been in existence for the last 45 years which continue to be hazard to the lives of the inhabitants. The additional sites pointed out above may also be remediated. This needs to be tackled on emergency basis at the highest level in the State and monitored at the level of the Chief Secretary and also the Oversight Committee. CPCB may be consulted in the process for the remedial action which should be as per rules. The action plan may also ensure provision for water supply to all affected areas. Further, it must be ensured that contamination does not affect the food chain. The stand of the State of UP with regard to compensation is not as per earlier order dated 15.11.2019, para 13. If the amount is not recovered from the companies for want of 17 effective legal steps for recovery within reasonable time, liability of the State for its negligence and inaction will continue.

..... Requisite remedial action may now be taken expeditiously and a report

furnished alongwith the further action taken report on remediation of dump sites with compliance status as on 30.06.2021, by 15.07.2021 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 04.08.2021."

मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 08.02.2021 के अनुपालन में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात के अतिरिक्त उपरोक्त वर्णित हैजार्डस वेस्ट डम्प साइट्स के रेमिडियेशन हेतु अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा कृत कार्यवाही के प्रगति की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है तथा दिनांक 30.06.2021 तक कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या उ0प्र0 राज्य की ओर से मा0 अधिकरण में दिनांक 15.07.2021 तक दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये है।

3- अतः उपरोक्त के संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त वर्णित आदेश दिनांक 08.02.2021 के अनुपालन में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात में डम्प क्रोमियम वेस्ट को हटाये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने, उपरोक्त आदेश में वर्णित अन्य 03 हैजार्डस वेस्ट डम्प साइट्स के नियमानुसार रेमिडियेशन हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से परामर्श कर यथावश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं प्रगति की अनुपालन आख्या दिनांक 01.07.2021 तक मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (email-soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध करायी जाये।

Digitally signed by
राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date:Wed Feb 24 14:10:22 IST
2021
Reason: Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-एन.जी.टी.-111(1)/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी.सी.-2, तददिनांक
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी34995/सी-2/एन.जी.टी.-46/2021, दिनांक 16.02.2021 के संदर्भ में।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात।
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव।

File No.81-7005(099)/245/2020-07-

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-एन.जी.टी.-111(4)/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी.सी.-2
लखनऊ : दिनांक : 25 फरवरी, 2021

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उ०प्र० शासन।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा O.A. No. 985/2019 In Re : Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, Uttar Pradesh WITH O.A. No. 986/2019 In Re : Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् है :-

".....10. It has also been pointed out that there are reports of mercury being present in ground water which necessitates cumulative impact study of the area in terms of possible adverse effect on food safety and health. There is also need for multispecialty health facilities for the affected inhabitants. Even though as per earlier health studies there is no adverse effect seen, in reality people are suffering from Cancer, Diabetes and other diseases on account of pollution. The study, thus, needs to be more credible.

11. Accordingly, in the light of above discussion, the State of UP may take further remedial action. Remediation of hazardous waste sites departmentally may be explored, as tender process has not succeeded in the last several years and the dump sites have been in existence for the last 45 years which continue to be hazard to the lives of the inhabitants. The additional sites pointed out above may also be remediated. This needs to be tackled on emergency basis at the highest level in the State and monitored at the level of the Chief Secretary and also the Oversight Committee....."

मा० एन०जी०टी० के उपरोक्त वर्णित आदेश दिनांक 08.02.2021 के अनुपालन में खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात एवं राखी मण्डी, कानपुर के प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को सम्मिलित करते हुए क्रिडिबल हेल्थ स्टडी किया जाना अपेक्षित है। मा० एन०जी०टी० द्वारा कृत कार्यवाही के प्रगति की समीक्षा हेतु अधोहस्ताक्षरी को निर्देशित किया गया है तथा दिनांक 30.06.2021 तक कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या उ०प्र० राज्य की ओर से मा० अधिकरण में दिनांक 15.07.2021 तक दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3- अतः उपरोक्त के संबंध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उक्त ओ०ए० के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 08.02.2021 द्वारा जारी निर्देशों का ससमय

अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या दिनांक 01.07.2021 तक मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कराने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (email-soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (email-ms@uppcb.in) को उपलब्ध करायी जाये।

Digitally signed by
राजेन्द्र कुमार तिवारी
Date:Wed Feb 24 14:18:05 IST
2021
Reason: Approved

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या-एन.जी.टी.-111(5)/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी.सी.-2, तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-जी34995/सी-2/एन.जी.टी.-46/2021, दिनांक 16.02.2021 के संदर्भ में।
- 3- गार्डफाइल।

आज्ञा से,


(सुधीर भर्ग)
प्रमुख सचिव।

File No.81-7005(099)/245/2020-07-

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न वादों में जारी निर्देशों के अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक दिनांक 02.12.2020 का कार्यवृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन विभिन्न वादों, जिनमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन स्तर पर मा० अधिकरण के आदेश के अनुश्रवण हेतु निर्देश जारी हैं, में अनुपालन की अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 02.12.2020 को मध्याह्न 12:00 बजे वीडियो कन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण संलग्न है।

2- मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा मा० एन०जी०टी० में लम्बित विभिन्न वादों में पारित आदेशों के समयबद्ध अनुपालन की आवश्यकता पर बल दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि यदि किसी विभाग द्वारा माननीय न्यायालयों/एन०जी०टी० के आदेशों के अनुपालन के संबंध में यथावश्यक कार्यवाही समय पर नहीं की जाती है तथा समय पर अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत माननीय न्यायालय अथवा मा० एन०जी०टी० द्वारा मुख्य सचिव को अनुपालन के लिये निर्देशित किया जाता है, तो इसमें विभाग की लापरवाही का संज्ञान लेकर उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि माननीय न्यायालयों/एन०जी०टी० में प्रचलित महत्वपूर्ण वादों में पैरवी का अनुश्रवण अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव स्तर के अधिकारी द्वारा स्वयं किया जाय। प्रकरणवार हुए विचार-विमर्श एवं लिये गये निर्णयों का विवरण निम्नवत् है :-

1- ओ०ए० सं०-231/2014 दोआबा पर्यावरण समिति बनाम स्टेट ऑफ यूपी० व अन्य:

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण हिण्डन नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मुख्य बिन्दु प्रभावित ग्रामों में पाईपड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस०टी०पी० की स्थापना, ड्रेन्स के फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन, दोषी उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली, परफार्मेंस गारण्टी, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही आदि हैं।

प्रभावित सभी 148 गाँवों में पाईपड वाटर सप्लाई के संबंध में अनुपालन की स्थिति के संबंध में अवगत कराया गया कि 103 ग्रामों में पाईपड वाटर सप्लाई का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, शेष 44 ग्रामों एवं 1 हर्षा टाउन एरिया कमेटी में कार्य प्रगति पर है, जोकि 31 दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में उ०प्र० जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि माह अक्टूबर तक की प्रगति आख्या प्रेषित की जा चुकी है तथा अद्यतन प्रगति आख्या उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित कर दी जाएगी। मा० अधिकरण द्वारा उक्त कार्य माह अक्टूबर, 2020 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

03 एस०टी०पी० (मुजफ्फरनगर-22 एम०एल०डी०, बुढ़ाना-10 एम०एल०डी० एवं सहारनपुर-93.6 एम०एल०डी०) की स्थापना के संबंध में अवगत कराया गया कि बुढ़ाना एवं मुजफ्फरनगर में टेण्डर फाईनल किए जा चुके हैं तथा मुजफ्फरनगर में बाउण्ड्रीवाल की स्थापना का कार्य प्रारम्भ हो चुका है। सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस०टी०पी० की डी०पी०आर० एनएमसीजी में अनुमोदन हेतु लम्बित है। बैठक के दौरान सहारनपुर में स्थापित किए जाने वाले एस०टी०पी० के शीघ्र अनुमोदन हेतु नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा (एन०एम०सी०जी०) को पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। बायोरेमिडिएशन के बिन्दु पर नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विमर्श कर लिया गया है तथा कुछ स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिन स्थानों पर फाइटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, उनका विवरण प्रेषित करते हुए टाईमलाइन बढ़ाए जाने तथा ड्रेन्स पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिसूचित किए जाने के मा० एन०जी०टी० के फॉसले पर पुनर्विचार हेतु

मा0 एन0जी0टी0 में अपील दाखिल की जाएगी।

प्रदूषणकारी उद्योगों पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के संबंध में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि 9.4 करोड़ पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी थी, जिसके विरुद्ध रूपये 3.75 की धनराशि की रिकवरी की जा चुकी है। डिफाल्टर उद्योगों के विरुद्ध भू-राजस्व की भांति वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं यथा-प्रभावित ग्रामों में पाईपड वाटर सप्लाई, प्रस्तावित एस0टी0पी0 की स्थापना, ड्रेन्स के फाईटोरेमिडिएशन/बायोरेमिडिएशन आदि को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करें। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दरों/परफार्मेंस गारण्टी पर पुनर्विचार हेतु कार्यों की प्रगति एवं समयबद्ध योजना के साथ मा0 अधिकरण से अनुरोध किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उक्त के अतिरिक्त परियोजना में हुये विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। परफार्मेंस गारण्टी जमा किये जाने के संबंध में आख्या तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/ लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/उ0प्र0 जल निगम)
2. ओ0ए0 सं0-06/2012 मनोज मिश्रा बनाम युनियन ऑफ इण्डिया एवं ओ0ए0 संख्या-648/2019 मै0 हिण्डन रिजॉर्ट प्रा0लि0 बनाम जी0डी0ए0-

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण यमुना नदी कैचमेन्ट क्षेत्र में भूजल प्रदूषण से सम्बन्धित है। प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 11.09.2019 एवं 05.03.2020 को जारी आदेशों में मुख्य रूप से शार्ट टर्म एवं लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान की प्रगति, कैचमेन्ट में स्थापित एस0टी0पी0 के संचालन, एस0टी0पी0 की स्थापना/अपग्रेडेशन की स्थिति, सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी, स्टेटस ऑफ बायो-रेमिडिएशन, आन लाइन मॉनीटरिंग सिस्टम की स्थापना, औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्रों से अशुद्धिकृत उत्प्रवाह के निस्तारण को रोके जाने, ई0टी0पी0/एस0टी0पी0 के सुचारु रूप से संचालन, यमुना नदी के फ्लड प्लेन पर यू0पी0 पार्ट के रिजुविनेशन आदि बिन्दु आच्छादित हैं।

उ0प्र0 जल निगम से प्राप्त आख्या के अनुसार साहिबाबाद ड्रेन का फ्लो मापन के उपरान्त 90 एम0एल0डी0 पाया गया है, थर्ड पार्टी से Flow measurement हेतु दिनांक 02.11.2020 को पत्र प्रेषित किया गया है।

इन्दिरापुरी, ड्रेन एवं बन्धला कैनॉल ड्रेन के इन्टरसेप्शन/डायवर्जन के उपरान्त उक्त के शाधन हेतु 60 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 प्रस्तावित है, जिस हेतु डी0पी0आर0 एन0एम0सी0जी0 में प्रेषित की गयी है। स्वीकृति के उपरान्त 2 वर्ष में उक्त कार्य पूर्ण होना प्रस्तावित है।

इन्दिरापुरम गाजियाबाद में कुल 8 एस0टी0पी0 हैं, जिनमें 56 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एस0टी0पी0 गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, 70, 56, 56 एवं 74 एम0एल0डी0 क्षमता के 04 एस0टी0पी0 उ0प्र0 जल निगम, जिनके संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है तथा 30 एमएलडी एस0टी0पी0 लोनी, जिसका संचालन उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है, स्थापित हैं। उ0प्र0 जल निगम द्वारा इन्दिरापुरम में स्थापित 03 एस0टी0पी0 (56, 56, 74) एमएलडी कुल क्षमता-186 एम0एल0डी0 के संचालन हेतु मैसर्स VA Tech Wabag, Chennai से अनुबन्ध किया गया है। पाईप लाइन आदि की मरम्मत का कार्य नवम्बर, 2020 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है। वर्तमान में 74 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 के renovation का कार्य पूर्ण हो

चुका है, एवं उक्त एस0टी0पी0 मानकों की प्राप्ति कर रहा है। 70 एम0एल0डी0, 56 एम0एल0डी0 एवं 30 एम0एल0डी0 एस0टी0पी0 (लोनी) के renovation का कार्य फरवरी, 2021 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है।

उक्त के अतिरिक्त 32 के0एल0डी एफ0एस0टी0पी0 लोनी में तथा 50 के0एल0डी0 एफ0एस0टी0पी0 गाजियाबाद की स्थापना की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि conforming/non-conforming areas में स्थापित प्रदूषणकारी उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। उद्योगों में स्थापित ई0टी0पी0 एवं सी0ई0टी0पी0 के प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु टीम गठित कर कार्यवाही की जा रही है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुपालन आख्या यमुना मॉनीटरिंग कमेटी को प्रेषित की जा चुकी है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि मा0 अधिकरण के आदेशों से आच्छादित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करते हुए प्रश्नगत ड्रेन्स से यमुना नदी में हो रहे प्रदूषण का निवारण किया जाए। यदि किसी परियोजना में टाइम लाईन का विस्तार वांछित हो तो संबंधित विभाग मा0 एन0जी0टी0 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रभावी पैरवी कराते हुए उचित आदेश प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही करें। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर नॉन कन्फर्मिंग एरियास में अवैध रूप से संचालित उद्योगों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कर उन्हें बन्द कराया जाए।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/जिलाधिकारी, गाजियाबाद तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3. ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य-

बैठक में ओ0ए0 संख्या-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 18.12.2019 के अनुपालन के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभिन्न ड्रेन्स के टैपिंग के संबंध में की गयी अद्यतन कार्यवाही का विवरण शीघ्र ही पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को प्रेषित कर दिया जायेगा। एस0टी0पी0 से शुद्धिकृत उत्स्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु नीति बनायी जा चुकी है तथा कार्ययोजना विचाराधीन है। सेप्टेज मैनेजमेंट पॉलिसी भी बनायी जा चुकी है। अनटैप्ड ड्रेन्स में बायो रेमिडियेशन/फाइटोरेमिडियेशन सम्बंधी प्रस्ताव हेतु फण्डिंग के लिये सम्बंधित जनपदों के निकायों की अनुमति न मिल पाने के कारण, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी में बायो रेमिडियेशन के कार्य को छोड़कर अन्य सभी अनटैप्ड ड्रेन्स में कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उ0प्र0 जल निगम के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेगमेंट-बी एवं फेज-2 के अनटैप्ड ड्रेन्स के प्रस्ताव एक माह के अन्दर तैयार कर लिये जायेंगे तथा उ0प्र0 जल निगम द्वारा जनपद बांदा, गाजियाबाद एवं कानपुर के पूर्व सूचित असंचालित तीनों एस0टी0पी0 संचालित हैं। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गाजियाबाद का एस0टी0पी0 संचालित है, मुरादाबाद स्थित एस0टी0पी0 सीवेज की अनुपलब्धता के कारण संचालित नहीं हो सका है तथा फिरोजाबाद का एस0टी0पी0 नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा शीघ्र संचालित होना प्रस्तावित है।

फ्लड प्लेन जोन तथा ई-फ्लो से सम्बंधित बिन्दु पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सेगमेंट-बी, फेज-1 के लिये नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है तथा फेज-2 हेतु केन्द्रीय भूजल

आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। गंगा नदी में ई-फ्लो मेन्टेन करने हेतु नियमित अन्तराल पर नरौरा एवं अन्य बांध से जल छोड़ा जा रहा है तथा रि-फ्लो नोटिफिकेशन का अनुपालन किया जा रहा है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी सम्बंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा ऐसे प्रोजेक्ट जिनमें पूर्व सूचित समय-सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे प्रोजेक्ट की समीक्षा कर संशोधित समय-सीमा के लिये मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध कर लिया जाये। जिन प्रोजेक्ट्स के समय से पूर्ण न होने की स्थिति में जुर्माना जमा किया जाना है, उनके सम्बंध में औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से जुर्माना जमा करने से छूट हेतु अनुरोध कर लिया जाये। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम द्वारा असंचालित एस0टी0पी0 के संचालित हो जाने सम्बंधी अद्यतन रिपोर्ट तत्काल पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दी जाये। संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव अपने स्तर पर गहन समीक्षा अवश्य कर लें तथा परियोजना के क्रियान्वयन में लापरवाही पाये जाने पर दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही -- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन तथा प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

4. ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद 986/2019: वॉटर पाल्युशन बाई टैनरीज एट जाजमऊ, कानपुर उत्तर प्रदेश विद वॉटर पाल्युशन एट रनिया, कानपुर देहात एण्ड राखी मंडी, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-

बैठक में ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन के कम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण के सम्बंध में उत्तरदायी विभाग यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये, परन्तु तीनों बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में नीरी नागपुर एवं चार प्रमुख आई0आई0टी0 से टेण्डर की शर्तों को शिथिल करने के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, परन्तु कोविड-19 के कारण अन्य कैम्प आयोजित नहीं किये जा सके हैं। अंतिम हेल्थ सर्वे रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कोविड-19 के कारण पूर्ण अंतिम रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पायी है, परन्तु आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध कोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त एस0जी0पी0जी0आई0 के चिकित्सा अधीक्षक डा0 हर्षवर्धन की अध्यक्षता में एक चिकित्सकीय टीम का भी गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है।

कानपुर देहात स्थित कोमियम डम्प की दोषी इकाइयों के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के सम्बंध में जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अद्यतन

स्थिति से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी। जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा अवगत कराया गया कि सभी दोषी उद्योगों के विरुद्ध वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है तथा इस कार्यवाही में यह ज्ञात हुआ कि वसूली नोटिस जारी होने के पूर्व ही अधिकांश उद्यमियों द्वारा जमीन बेची जा चुकी है। कुछ उद्यमियों की सम्पत्ति कानपुर नगर में है, इसलिये जिलाधिकारी, कानपुर नगर से वसूली हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिये अनुरोध किया गया है। कानपुर देहात में स्थित एक उद्यमी की जमीन पर महाविद्यालय बनाया जा रहा है तथा जमीन सरकार के नाम दृष्टिबंधक है।

ओ0ए0 संख्या-986/2019 के अन्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उ0प्र0 जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण उ0प्र0 सरकार पर रुपये 10 करोड़ तथा उ0प्र0 जल निगम पर रुपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे जमा नहीं किया गया है। उ0प्र0 जल निगम द्वारा जाजमऊ में स्थापित एस0टी0पी0 का प्रभावी संचालन नहीं किये जाने एवं अशुद्धिकृत सीवेज को बाईपास कर गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण बोर्ड द्वारा भी उ0प्र0 जल निगम के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यूपीसीडा द्वारा कोमियम डम्प के निस्तारण की कार्यवाही में अत्यंत विलम्ब किया गया है, जिसके दृष्टिगत यूपीसीडा द्वारा नीरी नागपुर तथा आई0आई0टी0 से दूरभाष पर वार्ता कर शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर टेण्डर आमंत्रित करते हुए भण्डारित कोमियम वेस्ट को हटाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अंतिम रिपोर्ट शीघ्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी, कानपुर देहात से अपेक्षा की गयी कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा जिलाधिकारी, कानपुर नगर को भी दोषी उद्योगों की सम्पत्ति से वसूली हेतु आर0सी0 स्थानान्तरित कर दी जाये। उद्यमी के महाविद्यालय की जो जमीन उ0प्र0 सरकार के नाम बंधक है, उसमें सेकेण्ड चार्ज के रूप में नियमानुसार पर्यावरण विभाग/जिलाधिकारी, कानपुर देहात का भी नाम दर्ज कराया जाय जिससे उ0प्र0 सरकार से भूमि बन्धक मुक्त होने के बाद यदि आर.सी. की धनराशि वसूली हेतु अवशेष रहती है तो इस सम्पत्ति से नियमानुसार वसूली की जा सके। उ0प्र0 जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 एन0जी0टी0 से अनुरोध किया जाये।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, /नगर विकास विभाग, प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा/उ0प्र0 जल निगम एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात)

5. ओ0ए0 संख्या-804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य-

बैठक में ओ0ए0 संख्या-804/2017 राजीव नाराण बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 01.07.2020 के अनुपालन के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों से अपेक्षित कार्यवाही का अद्यतन स्टेट्स एवं अग्रतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतीकरण किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 1989 प्रख्यापित हो जाने से पूर्व ही अनेक उद्योगों द्वारा अपने परिसंकटमय अपशिष्ट के प्रभावी निस्तारण न किये जाने के कारण प्रदेश में 19 कन्टेमिनेटेड साइट एवं 22 प्रोबेबल कन्टेमिनेटेड साइट्स चिन्हित किये गये थे। इनके सम्बंध में बोर्ड द्वारा अद्यतन जांच करायी गयी, जिसके आधार पर 12 साइट्स में भूगर्भ जलगुणता कुप्रभावित न पाये जाने के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उक्त 12 साइट्स को कन्टेमिनेटेड साइट्स की सूची से हटाने हेतु अनुरोध किया जा चुका

है। इसके अतिरिक्त 08 साइट्स के सम्बंध में यूपीसीडा से भूगर्भ जल गुणता सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त होना शेष है। इन सभी साइट्स के सम्बंध में पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात् गुणदोष के आधार पर भूगर्भ जल के रेमिडियेशन की कार्यवाही हेतु फण्डिंग की आवश्यकता होगी, जिसका प्रबन्ध दोषी उद्योग चिन्हित हो जाने की स्थिति में "पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल" के आधार पर उद्योगों से अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार से कराया जाना अपेक्षित होगा।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन में श्रम विभाग, नगर विकास विभाग आदि से अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट अपेक्षित है।

यूपीसीडा के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में कन्टेमिनेटेड साइट्स के सम्बंध में जांच हेतु प्रभावी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उक्त कार्य 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से करा लिया जाये तथा इस हेतु जो भी धन आवश्यक होगा, वह उपलब्ध करा दिया जायेगा। श्रम विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट आज भेज दी गयी है।

अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि यूपीसीडा द्वारा उनके क्षेत्र से अपेक्षित जांच सम्बंधी कार्य सम्भव न हो पाने की स्थिति में 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराते हुए कार्य पूर्ण कराये जाने के आशय का पत्र भेजा जाये। जिन क्षेत्रों में रेमिडियेशन का कार्य किया जाना है, उक्त हेतु दोषी उद्योगों को चिन्हित कर उनसे उक्त कार्य पूर्ण कराया जाये, अन्यथा की स्थिति में राज्य सरकार के अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, नगर विकास विभाग आदि द्वारा धन उपलब्ध कराते हुए कार्य कराया जाये। श्रम विभाग एवं नगर विकास विभाग द्वारा अद्यतन स्टेट्स रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तत्काल उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्रम, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नगर विकास तथा प्रबंध निदेशक, यूपीसीडा)

ओ0ए0 संख्या- 320/2018 पार्क अवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी एवं अन्य दानम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य-

सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के मास्टर प्लान के अन्तर्गत खुली जमीन/पार्क/हरित पट्टिका के विक्रय एवं अर्बेड प्लॉटिंग के संघर्ष में प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में योजित है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त की लोकेशन किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि संबंधित प्रकरण में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, विभिन्न स्थापित व्यवस्था का पालन करते हुये अनाधिकृत रूप से किये गये निर्माण का स्वस्तीकरण करते हुए मास्टर प्लान के अनुसार हरित पट्टिका हेतु भूमि को रिक्त कराते हुए हरित पट्टिका को विकसित किया जाए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जन्तुपर्व, प्राधिकरणों में भी तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तुत विधिक व्यवस्था का पूर्ण विवरण एवं अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं 30 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग)
ओ0ए0 संख्या- 400/2018 टी0एस0 सिंह दानम स्टेट ऑफ यू0पी0 एण्ड अदर्स-

सदस्य सचिव, 30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण प्रतापगढ़ में सई नदी के प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्मित एस0टी0पी0 हेतु सीवर लाईन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 से संयोजित किये जाने से सम्बंधित है। एस0टी0पी0 निर्माण का कार्य 2009 में अधूरा छोड़ दिये जाने के सम्बंध में सचिव,

नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में कार्यदायी संस्था के उत्तरदायी परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी गई है। सई नदी में सीधे गिर रहे सीवेज का बायो-रेमिडियेशन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

सचिव, नगर विकास द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व निर्मित एस0टी0पी0 को पूर्ण रूप से संचालित करने तथा सई नदी में गिर रहे नालों की टैंपिंग कर एस0टी0पी0 से संयोजन करने हेतु डी0पी0आर0 तैयार कराकर अनुमोदन हेतु मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली प्रेषित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा इस संबंध में एन0एम0सी0जी0 से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किया जाये तथा एस0टी0पी0 को संचालित कराया जाय। दोषी परियोजना प्रबन्धक के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सहित तथा सीवर लाइन बिछाये जाने एवं एस0टी0पी0 संयोजन हेतु समयबद्ध कार्ययोजना बना कर मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाए।

(कार्यवाही -प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

8. ओ0ए0 सं0 - 116/2014 मीरा शुक्ला बनाम म्युनिसिपल कार्पोरेशन, गोरखपुर
तथा ओ0ए0 सं0 - 437/2015-

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश के अन्तर्गत रामगढ़ ताल के आस-पास के क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाये जाने, उक्त ताल में निस्तारित होने वाले घरेलू जल-मल को तत्काल बायोरेमिडेशन/फाइटोरेमिडेशन के द्वारा शुद्धीकरण किये जाने, नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर द्वारा एस0टी0पी0 की स्थापना, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर द्वारा सी0ई0टी0पी0 की स्थापना, नगर निगम गोरखपुर द्वारा नगरीय टोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्ध, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर द्वारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करने, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति तथा केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से भू-जल दोहन हेतु अनापत्ति प्राप्त करने वाले उद्योगों को ही विद्युत संयोजन प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 एन0जी0टी0 में प्रकरण दिनांक 17.12.2020 को नियत है।

1- इस सम्बन्ध में संवस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 ने पत्र दिनांक 02.11.2020 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि0, दक्षिणान्चल/मध्यान्चल/पूर्वान्चल/पश्चिमान्चल/आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ एवं केस्को लि0, कानपुर को निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

अ. रेड एवं ऑरिन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की स्थापनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाये।

ब. रेड एवं ऑरिन्ज इण्डस्ट्रीज सेक्टर टाइप हेतु प्राप्त अस्थाई विद्युत संयोजन के आवेदनों पर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग की संचालनार्थ सहमति प्रपत्र के बिना अस्थाई संयोजन निर्गत न किया जाय।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के उक्त आदेश दिनांक 02.11.2020 का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही - अध्यक्ष, उ०प्र० पॉवर कॉर्पोरेशन)

2- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण-बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि केन्द्रीय भू-गर्भ जल प्राधिकरण के अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 के अनुसार किसी नये नलकूप की स्थापना बिना सी०जी०डब्लू०ए० की अनुमति के बिना नहीं होगी तथा भू-गर्भ जल के निकासी के विभिन्न प्रयोजनों के लिये दरें निर्धारित की गयी हैं। सी०जी०डब्लू०ए० की अनुमति के बिना नये नलकूपों की स्थापना पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि अतिदोहित एवं क्रिटिकल नोटिफाइड एरियाज में भू-जल की निकासी करने वाले उद्योगों अथवा विस्तारीकरण की परियोजनाओं के संबंध में केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 24.09.2020 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, निदेशक, भूगर्भ जल विभाग एवं सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

3- नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद एवं नगर पंचायत, मगहर में एस०टी०पी० की स्थापना के सम्बन्ध में उ०प्र० जल निगम द्वारा तैयार की गयी डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी० में प्रेषित की गयी है। मुख्य सचिव द्वारा सचिव, नगर विकास विभाग को निर्देश दिये गये कि एन०एम०सी०जी० से समन्वय स्थापित कर शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु प्रयास किया जाये एवं तदनुसार मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4- गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, (गीडा), गोरखपुर द्वारा रु० 76.79 करोड़ की लागत से सी०ई०टी०पी० की स्थापना के सम्बन्ध में डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु एन०एम०सी०जी० से संपर्क कर डी०पी०आर० की स्वीकृति हेतु शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सी०ई०टी०पी० की स्थापना सुनिश्चित करायी जाय।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण गोरखपुर)

5- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट के शुद्धीकरण, निस्तारण एवं लैण्डफिल साइट के सम्बन्ध में भूमि चिन्हित कर ली गयी है। मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि नगर निगम द्वारा शेष चिन्हित भूमि का अधिग्रहण जिलाधिकारी, गोरखपुर से समन्वय स्थापित कर शीघ्र किया जाये। अग्रिम कार्यवाही अतिशीघ्र सम्पादित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, जिलाधिकारी, गोरखपुर एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर)

6- नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अवगत कराया गया कि रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन का कार्य दिनांक 15.12.2020 से प्रारम्भ हो जायेगा। रामगढ़ताल में निस्तारित हो रहे अनटैप्ड नालों में बायो रेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन किये जाने तथा नालों को टैप्ड किये जाने के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन औचित्य सहित मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु नगर निगम, गोरखपुर एवं उत्तर प्रदेश जल, निगम को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0 जल निगम एवं नगर निगम गोरखपुर)

7- गोमती नदी के कैचमेन्ट में स्थापित हो रहे एस0टी0पी0 के सम्बन्ध में संशोधित टाइम लाइन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत की जाये एवं सीधे निस्तारित हो रहे नालों में तत्काल बायो रेमिडेशन/फाइटो रेमिडेशन आरम्भ कराया जाये।

(कार्यवाही-प्रमुख सचिव, नगर विकास, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम तथा नगर आयुक्त, लखनऊ)

8- बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विरुद्ध उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 4.4115 करोड़ को जमा किये जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा अद्यतन आख्या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर)

9- तिहुरा नाले की सफाई एवं नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया कि तिहुरा नाले में बन्धों को हटाये जाने के सम्बन्ध में एक याचिका मेसर्स यश पैका लि0, दर्शन नगर, अयोध्या द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में दायर की गयी है। तिहुरा नाले के बन्धों को न हटाये जाने के सम्बन्ध में दूसरी याचिका शान्ति सिंह द्वारा दायर की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभी तक उक्त याचिकाओं पर कोई आदेश पारित नहीं किये गये हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रकरण में मुख्य स्थायी अधिवक्ता से समन्वय स्थापित कर केस की शीघ्र पैरवी करायी जाय तथा मुख्य स्थायी अधिवक्ता की राय अनुसार तिहुरा नाले की अद्यतन अनुपालन आख्या विलम्बतम एक सप्ताह में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही -जिलाधिकारी, अयोध्या)

9. ओ0ए0 सं0 - 606/2018 कम्प्लायंस ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स, 2016-

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित है तथा मा0 अधिकरण द्वारा पारित निर्देश दिनांक 10.01.2020 में आदेशित किया गया है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य 31.03.2020 तक पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें तथा लिगेसी वेस्ट के रेमिडिएशन

का कार्य दिनांक 01.04.2020 से प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उक्त समयावधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की दरें मासिक निर्धारित की गई हैं। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइम लाइन में परियोजनाओं को पूर्ण नहीं किये जाने के दृष्टिगत उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दोषी नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के विरुद्ध पत्र दिनांक 07.07.2020 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-5 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा Thematic Areas पर तृतीय त्रैमासिक रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में प्रस्तुत करते हुए एक प्रति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जा चुकी है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना दिनांक 30.11.2020 तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जो कि नगर विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी है।

बैठक में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये-

1- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर पुनर्विचार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही- प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

2- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 17.11.2020 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सीवेज प्रबन्धन, रिवर रिजुविनेशन कमेटी एवं नान अटेन्मेन्ट सिटिज के सम्बन्ध में Revised Format पर सूचना 01 सप्ताह के अन्दर उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/लोक निर्माण/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सिंचाई एवं जल संसाधन/गृह/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग एवं प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

3- प्रदेश में लीगेसी वेस्ट के जी0आई0एस0 मैपिंग एवं आंकलन तथा लीगेसी वेस्ट स्थल पर भूगर्भीय जल का अनुश्रवण कराते सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)

4- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में Thematic Areas पर माह दिसम्बर, 2020 तक की प्रगति संबंधी सूचनाएं अद्यतन करते हुए दिनांक 07.01.2021 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को ई-मेल आई डी-(soenvups@rediffmail.com) तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल आई डी-(ms@uppcb.com) पर प्रेषित की जाए।

(कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास /ग्राम्य विकास/ सिंचाई एवं जल संसाधन/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/गृह/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग/सिंचाई एवं जल संसाधन/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग)

10. ओ0ए0 सं0 - 593/2017 पर्यावरण सुरक्षा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया-

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि इस प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.05.2020 में निर्देशित है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन तथा शोधित उत्प्रवाह के प्रयोग हेतु बजट, वित्तीय प्रावधान प्रदर्शित करते हुए कार्ययोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 30.06.2020 तक प्रेषित की जानी थी, जिसके सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 05.06.2020 द्वारा नगर विकास विभाग को समयबद्ध कार्यवाही के लिए निर्देश भी जारी किये गये थे। मा0 अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 21.09.2020 में निर्देशित किया गया है कि सीवेज के 100 प्रतिशत शोधन एवं शोधित उत्प्रवाह के पुनः प्रयोग हेतु तैयार किये गये ऐक्शन प्लान के अनुपालन की स्थिति समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जानी है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा उपरोक्त आदेश में दिनांक 01.07.2020 तक 100 प्रतिशत सीवेज शोधन हेतु इनसिटु रेमिडियेशन कार्य किये जाने, एस0टी0पी0 स्थापना प्रारम्भ किये जाने एवं समस्त ड्रेन्स को एस0टी0पी0 से जोड़े जाने के निर्देश दिये गये हैं तथा उल्लंघन की दशा में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण की मासिक दर निर्धारित की गई है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर विकास विभाग द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेशों में निर्धारित की गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति पर औचित्य सहित पुनर्विचार किये जाने तथा सीवेज शोधन एवं शोधित सीवेज के पुनः प्रयोग हेतु ऐक्शन प्लान तैयार कर मा0 अधिकरण में शीघ्र दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, सिंचाई एवं जल संसाधन, प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम)

11. ओ0ए0 सं0 - 621/2018 महेन्द्र पाण्डेय बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि यह प्रकरण जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तट पर पूर्व में अवैध रूप से स्थापित ई-वेस्ट प्रोसेसिंग इकाईयों द्वारा प्रोसेसिंग से जनित अपशिष्ट (ब्लैक पाउडर) के निस्तारण के सम्बन्ध में है। उक्त ब्लैक पाउडर को रामगंगा नदी के तट से हटा कर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाईडलाइन के अनुसार जनपद-मुरादाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन साइट पर अस्थायी रूप से भण्डारित किया गया है। उक्त अस्थायी भण्डारित अपशिष्ट के अन्तिम निस्तारण हेतु ब्लैक पाउडर को वेस्ट प्रोसेसिंग साइट से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित Treatment, Storage and Disposal Facility (TSDF) में प्रेषित किया जाना है। उक्त प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 का संचालन माह फरवरी, 2021 में प्रस्तावित है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य द्वारा की गई कार्यवाही को संकलित करते हुए मा0 अधिकरण में कृत कार्यवाही की आख्या प्रेषित की जा चुकी है। सिंचाई विभाग, मुरादाबाद द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर को अस्थायी भण्डारित स्थल से जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 तक ले जाने हेतु आने वाले व्यय का आंकलन लगभग रु 96 लाख आंकलित किया गया है।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लैक पाउडर के निस्तारण हेतु पूर्व में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक

दिनांक 26.09.2018 में निम्न 04 विकल्पों पर विचार-विमर्श किया गया :-

विकल्प 1	जिलाधिकारी मुरादाबाद द्वारा ग्राम फाजलपुर, तहसील सदर मुरादाबाद में चिह्नित 5.5 एकड़ भूमि पर Secured Landfill Site का निर्माण कर रामगंगा नदी के तट पर निस्तारित ब्लैक पाउडर को निस्तारित किया जाना।
विकल्प 2	नगर निगम, मुरादाबाद द्वारा पूर्व में विकसित लैंडफिल साइट में अस्थायी रूप से ब्लैक पाउडर का सुरक्षित भण्डारण किया जाना।
विकल्प 3	ब्लैक पाउडर का निस्तारण प्राधिकृत टी0एस0डी0एफ0 से कराया जाना।
विकल्प 4	अमरोहा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0-के संचालन के उपरान्त ब्लैक पाउडर का स्थाई निस्तारण।

उक्त बैठक दिनांक 26.09.2018 में विचार-विमर्श के उपरान्त विकल्प सं0-1, 2, 3 पर वैज्ञानिक/वाणिज्यिक फिजीबिलिटी न होने के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर का निस्तारण जनपद अमरोहा में प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

अद्यतन बैठक दिनांक 02.12.2020 में विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिये गये :-

1- जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा उक्त कार्यवाही हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, नगर निगम एवं अन्य संबंधित विभागों की एक अंतर्विभागीय समिति बनाकर अस्थायी रूप से भण्डारित ब्लैक पाउडर को स्थल पर ही मानकों के अनुरूप निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में वित्तीय एवं तकनीकी आंकलन करते हुए आख्या 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए।

(कार्यवाही - जिलाधिकारी, मुरादाबाद)

2- पूर्व में रामगंगा नदी के तट पर ब्लैक पाउडर निस्तारित करने वाले दोषियों की पहचान किये जाने हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग मुरादाबाद, नगर निगम मुरादाबाद, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद की संयुक्त समिति द्वारा 10 दिन के अन्दर की जाए।

(कार्यवाही - जिलाधिकारी, मुरादाबाद, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद, नगर निगम, मुरादाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद)

3- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा उक्त ब्लैक पाउडर के परिवहन एवं मानकों के अनुरूप निस्तारण में होने वाले व्यय का आंकलन करते हुए रिपोर्ट 10 दिन के अन्दर प्रस्तुत की जाए तथा आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग)

4- उक्त ब्लैक पाउडर का सुरक्षित स्थायी निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्तावित व्यय का वहन बॉड ओनर्स के Extended Producer Responsibility के अंतर्गत कराये जाने की सम्भावना के परीक्षण हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाही - सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

12. ओ0ए0 संख्या-681/2018 News item published in "The Times of India" Authored by Shri Vishwa Mohan titled "NCAP with multiple timelines to clean air in 102 cities to be released around August 15"

1- बैठक में उ0प्र0 राज्य के अंतर्गत नॉन अटेंमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु लागू कार्ययोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यों की प्रगति एवं

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी। सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में चिन्हित 15 नॉन अटेंमेंट शहरों में वायु प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजनाओं का कियान्वयन कराया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दो शहरों यथा मेरठ एवं गोरखपुर को भी नॉन अटेंमेंट शहरों के रूप में चिन्हित किया गया है। मेरठ की कार्ययोजना का निरूपण कर उसे अनुमोदनार्थ केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है तथा गोरखपुर की कार्ययोजना का निरूपण का कार्य वर्तमान में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर से सूचनायें इत्यादि प्राप्त कर किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त बैठक में मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा की गयी तथा निम्न निर्णय लिये गये:-

- 1- गोरखपुर की वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना के निरूपण हेतु समस्त वांछित सूचनायें एक सप्ताह के अंतर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करा दी जाय।
(कार्यवाही - जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला पर्यावरण समिति, गोरखपुर)
- 2- वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु विकसित समीर एप एवं स्वच्छ वायु एप पर प्राप्त शिकायतों से संबंधित विभागों द्वारा 01 सप्ताह के अन्दर शिकायतों का निस्तारण करते हुए आख्या प्रेषित की जाय।
(कार्यवाही- नगर आयुक्त, गाजियाबाद, सी0ई0ओ0, नोएडा एथॉरिटी, जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद, नोएडा एवं मेरठ)
- 3- लीगेसी वेस्ट का निस्तारण एवं उ0प्र0 में लीगेसी वेस्ट की जी0आई0एस0 मैपिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
(कार्यवाही - प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग)
- 4- बैठक के दौरान 500 से अधिक ए0क्यू0आई0 आने की दशा में पर्यावरणीय इमरजेंसी को आपदा के रूप में सम्मिलित कर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम विकसित किये जाने हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार से भी दिशा-निर्देश प्राप्त कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही की जाय तथा आपदा की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही की सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक सप्ताह में प्रेषित की जाय।
(कार्यवाही-मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण)
- 5- मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 21.08.2020 के द्वारा निर्देश दिये गये कि ओवरसाइट समिति की संस्तुतियों का अनुपालन संबंधित विभागों से सुनिश्चित कराया जाये। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को ओवरसाइट समिति की रिपोर्ट के बिंदुओं पर अनुपालन आख्या 01 सप्ताह के अन्दर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- 6- माननीय एन0जी0टी0 के आदेशानुसार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की कार्ययोजना के संबंध में गृह विभाग पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार परित्रहन विभाग से समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना तैयार करें तथा विलम्बतम दिनांक 15.12.2020 तक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं उ0प्र0 प्रदूषण

नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध कराये।

(कार्यवाही - अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग)

3- उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा समस्त वादों के संबंध में निम्न कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये :-

1- उक्त समस्त वादों में सभी संबंधित विभागों द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा निर्धारित टाइमलाईन के अनुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालन सूचना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर दिनांक 15.12.2020 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

2- जिन कार्यों में टाइमलाईन के अंतर्गत कार्यवाही नहीं हुयी है तथा उनमें यदि अनुचित विलम्ब हुआ है तो दोषी अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल कर उसकी प्रति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को ई-मेल soenvups@rediffmail.com एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ई-मेल ms@uppcb.com पर उपलब्ध करायी जाय।

3- जिन कार्यों में विलम्ब औचित्यपूर्ण है उनमें औचित्य के साथ टाइमलाईन एक्सटेंशन एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल कराये तथा उसकी प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कर उचित आदेश प्राप्त किया जाय।

4- सभी संबंधित विभागों द्वारा या तो मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का समयबद्ध अनुपालन करें, और यदि विभाग को आदेश के अनुपालन में कोई कठिनाई हो तो मा0 एन0जी0टी0 अथवा सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुरोध करके आदेशों में आवश्यक संशोधन करा लें।

अन्त में बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ सम्पन्न हुई।

Digitally signed by सुधीर
गर्ग
Date: Fri Dec 11 11:29:29 IST
2020
Reason: Approved

(सुधीर गर्ग)

प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7

संख्या- N-G-T-645/81-7-2020-44(रिट)/2016 टी.सी.-2

लखनऊ : दिनांक : 11 दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/सिंचाई एवं जल संसाधन/कृषि/पंचायती राज/चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ग्राम्य विकास/ऊर्जा/परिवहन/लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल/आवास एवं शहरी नियोजन/खाद्य एवं रसद/नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन/भूतत्व एवं खनिकर्म/लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

- 2- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०।
- 3- जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात/मुसदाबाद/गाजियाबाद/अयोध्या।
- 4- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- निदेशक, उद्योग, उ०प्र० कानपुर।
- 7- सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर)।
- 9- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 10- निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

30प्र0 शासन

कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग

संख्या-1492 /31-2020-44/2014 टी0सी0-1

लखनऊ: दिनांक: 31 दिसम्बर, 2020

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
पशुधन, खाद्य एवं रसद, वन एवं पर्यावरण, कृषि, राजस्व, चिकित्सा
स्वास्थ्य, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, माध्यमिक शिक्षा एवं
पंचायतीराज विभाग, 30प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक,
30प्र0।
3. पुलिस कमिश्नर, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, 30प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, 30प्र0।
मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21 दिसम्बर,
2020 को अपरान्ह 04:00 बजे से लोक भवन में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के
एजेण्डा बिन्दुओं के सम्बन्ध में निर्देशों का कार्यवृत्त संलग्नकर प्रेषित करते
हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कार्यवृत्त में अंकित बिन्दुओं
में से अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर कार्यवाही कराते हुए कृत
कार्यवाही से कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें।
संलग्नक-यथोपरि।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)

सचिव।

संख्या-1492(1)/31-2020-44/2012 टी0सी0-1 तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, 30प्र0
शासन।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)

संयुक्त सचिव।

**मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को अपराह्न
04:00 बजे से लोक भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक का
कार्यवृत्त**

बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए मुख्य सचिव महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निम्नवत् निर्देश दिए गए:-

- जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि शीतलहर के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोते हुए न पाया जाए। चिन्हित स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करायी जाए तथा रैनबसेरों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।
- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी निराश्रित गोवंश स्थलों का निरीक्षण करें। निरीक्षण के समय देखें की गो संरक्षण केन्द्रों पर गोवंश की संख्या एवं उनके इलाज की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी जनपद में ठंड के कारण अथवा असामान्य मृत्यु अधिक संख्या में न हों। गोवंश की अधिक संख्या में मृत्यु पर जिलाधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा।
- जनपदों में धान क्रय केन्द्रों के निरीक्षण में पाया गया कि कतिपय केन्द्रों पर शून्य या बहुत कम धान खरीद हुई है। किसानों को टोकन मिलने के बाद एक सप्ताह तक धान की तौल नहीं हो पा रही है। निर्देश दिए गए कि जबतक किसान के पास विक्रय हेतु धान उपलब्ध है तबतक क्रय केन्द्र बन्द नहीं होने चाहिए। जिन जनपदों में धान क्रय हेतु अधिक मात्रा में उपलब्ध है वहाँ अतिरिक्त कौटा लगवा कर धान क्रय कराया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसान ठंड में अधिक इन्तजार न करें।
- जिलाधिकारी द्वारा राजस्व विभाग के अन्तर्गत वरासत अभियान माह जनवरी, 2021 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने का प्रमाण-पत्र दिया जाए। यदि किसी जनपद के ग्राम में वरासत का ममला लम्बित पाया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी।
- जन शिकायतों के निस्तारण में थाना/तहसील स्तर पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण गुणवत्ता के साथ समयान्तर्गत नहीं हो रहा है। निर्देश दिए गए कि जिन जनपदों में जन शिकायतों के निस्तारण में कमी है, उन जनपदों के बारे में पत्रावली पर प्रस्तुत की जाए।
- थाना दिवस और तहसील दिवस में प्राप्त शिकायतों में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों के पर जाकर भौतिक सत्यापन करें। यह भी सुनिश्चित करें कि शिकायतों का निस्तारण संतोषजनक और गुणवत्तापूर्ण हो।
- मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपदों में भ्रमण के दौरान अधिकांश जनपदों में सबसे अधिक शिकायत विद्युत उपभोक्ताओं को त्रुटिपूर्ण बिल, अधिक धनराशि का बिल

तथा खम्भों में तार न खींचना, पुलिस का जनता के प्रति दुर्व्यवहार आदि की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी देखें की जनता की शिकायतों का निस्तारण समय से हो। निस्तारण में विलम्ब हेतु तथा जनता के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायतें आने पर कठोर कार्यवाही की जाए।

- जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक किसानों के आन्दोलन में प्रतिदिन संवाद बनाए रखें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी किसान के साथ दुर्व्यवहार न हो तथा एक स्थान पर भीड़ एकत्रित न हो। निरन्तर सतर्क रहें ताकि किसानों की आड़ में अन्य संगठन/असामाजिक तत्व द्वारा आन्दोलन करने पर उनके विरुद्ध सख्ती से पेश आए। यदि कोई महत्वपूर्ण सूचना हो तो शासन के संज्ञान में अवश्य लायी जाए।
- जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि किसान से सम्बन्धित किसी प्रकार की कोई समस्या न आए तथा सभी इनपुट्स किसानों को अवश्य उपलब्ध कराए जाएं।

आई0जी0आर0एस0

- आई0जी0आर0एस0 के प्रकरणों में मात्र 18 जनपदों द्वारा शिकायतकर्ता का मो0 नं0 अंकित किया जा रहा है। कतिपय जनपदों यथा हाथरस, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, प्रतापगढ़, बोंदा, फर्रुखाबाद, हापुड़, बलरामपुर, कानपुर नगर, चन्दौली आदि में शून्य अथवा बहुत कम शिकायतकर्ता का मो0 नं0 अंकित किया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि इस हेतु जिम्मेदार अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर शासन को भेजें।
- आई0जी0आर0एस0 के पुलिस प्रकरणों में जनपद कुशीनगर, मऊ, महोबा, आदि में किसी भी शिकायतकर्ता का मो0 नं0 अंकित नहीं किया जा रहा है। जनपद ललितपुर, बोंदा, बदायूँ, जालौन, अयोध्या, बलिया, कासगंज, मेरठ आदि में बहुत कम शिकायतकर्ताओं का मो0नं0 अंकित किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित की जिम्मेदारी तय करें।
- शिकायतों की आख्या श्रेणी में जनपद प्रयागराज, जालौन, कानपुर देहात, श्रावस्ती, बस्ती, लखनऊ, बलिया आदि में प्रगति अत्यन्त खराब है। निर्देश दिए गए कि असम्बन्धित के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराएं।
- कतिपय जनपदों में शिकायत की श्रेणी दर्ज नहीं हो रही है। शिकायतें अन्य श्रेणी में दर्ज कर दी जा रही है। यह स्थिति ठीक नहीं है। श्रेणीवार शिकायतें दर्ज कराई जाएं।
- जनपद आगरा, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ, मुरादाबाद के अधिकांश प्रकरण डीफाल्टर श्रेणी में है। जनपद मेरठ, प्रयागराज एवं लखनऊ को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रकरणों का समयबद्ध (15 दिन के अन्दर) निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।
- कतिपय जनपदों में सी श्रेणीकरण कम हो रहा है। मण्डलायुक्त/पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने मण्डल के प्रकरणों में विशेष ध्यान दें।

- आई0जी0आर0एस0 के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता असंतुष्ट हैं, परन्तु स्पेशल क्लोज करके प्रकरण समाप्त किया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करें कि आवेदनकर्ता के असंतुष्ट होने पर भी निस्तारण स्पेशल क्लोज न हो। यदि आवेदनकर्ता संतुष्ट नहीं है तो सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करें।

पशुधन

- प्रमुख सचिव, पशुधन द्वारा अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत 33 जनपदों में शत-प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है, परन्तु जनपद महोबा, मथुरा, अलीगढ़, जालौन, महाराजगंज, फर्रुखाबाद एवं फिरोजाबाद में प्रगति कम है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी विशेष ध्यान देकर सहभागिता योजना में प्रगति लाएं। अतिकुपोषित बच्चों के परिवारों को गोवंश देने की व्यवस्था के अन्तर्गत सहभागिता योजना में प्रगति लाई जा सकती है। मण्डलायुक्त कानपुर एवं आगरा द्वारा मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के साथ बैठक कर सहभागिता योजना में प्रगति लाएं।
- प्रमुख सचिव, पशुधन द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की इयर टैगिंग का लक्ष्य 5.20 करोड़ के सापेक्ष 2.75 करोड़ पशुओं की इयर टैगिंग हो चुकी है, परन्तु जनपद महोबा, गोरखपुर, बस्ती, कासगंज एवं संतकबीरनगर में प्रगति अपेक्षा कृत बहुत कम है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी समीक्षाकर लक्ष्य के अनुरूप पशुओं की इयर टैगिंग कराएं।
- प्रमुख सचिव, पशुधन द्वारा अवगत कराया गया कि 120 नए गोशाला हेतु ₹0 147 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष अभी तक 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में गोवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी गोवंश संरक्षण हेतु भूमि का प्रस्ताव दिनांक: 31 दिसम्बर, 2020 तक शासन को उपलब्ध कराएं।
- प्रमुख सचिव, पशुधन द्वारा अवगत कराया गया कि गोवंश के भरण पोषण हेतु जनपदों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जनपदों से प्राप्त नहीं हुआ है। जिलाधिकारी भरण पोषण हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तत्काल उपलब्ध कराएं।
- प्रमुख सचिव, पशुधन द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनवाईड आर्टीफिशियल इनसेमिनेशन प्रोग्राम (NAIP) के अन्तर्गत पोर्टल पर 01 प्रतिशत की प्रगति दर्शायी जा रही है, जब कि प्रदेश में 12 प्रतिशत प्रगति हुई है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी लक्षित ग्राम सभाओं की समीक्षा कर योजना में प्रगति लाएं तथा प्रगति को वेब पोर्टल पर अवश्य अपलोड कराएं।
- जिलाधिकारी संवेदनशील रहें कि ठण्ड, भोजन, दवा के अभाव आदि के कारण निराश्रित गोवंश की मृत्यु न हो। इस हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के पुराने बोरों को खरीद कर गोवंश को ठण्ड से बचाव हेतु कोट बनवाया जाए।

- कतिपय जनपदों द्वारा गोवंश संरक्षण हेतु निर्धारित लक्ष्य को कम करने की मांग की गई। इस सम्बन्ध में निर्देश दिए गए कि यदि जिलाधिकारी प्रमाण-पत्र दें कि उनके जनपद में एक भी गोवंश निराश्रित सड़कों पर नहीं घूम रहें हैं तब उस स्थिति में जनपद का गो-संरक्षण हेतु लक्ष्य कम किया जा सकता है।

खाद्य एवं रसद

- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद बलरामपुर में क्रय केन्द्र चल नहीं रहे हैं, जब कि आदेश है कि किसानों के पास जब तक धान विक्रय हेतु उपलब्ध है, तब तक क्रय केन्द्र चलते रहना चाहिए। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि कल दिनांक: 22 दिसम्बर, 2020 तक केन्द्र चालू हो जाएं। क्रय केन्द्र चालू न होने में अनियमितता पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। इसी प्रकार जनपद प्रयागराज एवं महाराजगंज में कतिपय क्रय केन्द्रों पर अधिक क्रय हुआ है तथा कुछ केन्द्रों पर बहुत कम क्रय हुआ है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी प्रयागराज एवं महाराजगंज देख लें कि कतिपय केन्द्रों पर क्रय कम क्यों हुआ है? इस हेतु उप सम्भागीय विपणन अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाए।
- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के 33 जनपदों में पी0सी0एफ0 के केन्द्र बन्द हैं अथवा खरीद नहीं हो रही है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी तत्काल केन्द्रों पर खरीद कराएं। यदि केन्द्रों पर बोरो की कमी हो तो सम्भागीय खाद्य नियंत्रक केन्द्रों पर तत्काल बोरो उपलब्ध कराएं।
- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में एन0सी0सी0एफ0/नेफेड द्वारा संचालित केन्द्रों पर क्रय धान/मक्का का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निर्देश दिए गए कि प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद भारत सरकार को इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव की ओर से पत्र प्रेषित करें तथा एन0सी0सी0एफ0/नेफेड के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संचालित केन्द्रों को तत्काल बन्द कराएं।
- प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद द्वारा अवगत कराया गया कि पी0सी0एफ0/अन्य सहकारी संस्था द्वारा क्रय किए गए धान/मक्का के भुगतान में विलम्ब हो रहा है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी आज दिनांक: 21 दिसम्बर, 2020 को समीक्षा कर लें कि सी0एम0आर0 की डिलीवरी में विलम्ब क्यों हो रहा है? तथा उसका समाधान कराएं।
- जिलाधिकारी दिनांक: 22 दिसम्बर, 2020 को मिलर के भण्डार का सत्यापन अवश्य करा लें।
- जिलाधिकारी देखें कि मण्डियों में धान/मक्का का क्रय एम0एस0पी0 से यदि कम दर पर किया जा रहा है तो इस स्थिति में मण्डी में केन्द्र खुलवाकर किसानों से धान/मक्का का क्रय कराया जाए।

कृषि

- अपर मुख्य सचिव, कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक: 25 दिसम्बर, 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सम्बन्ध में किसानों से वार्ता करेंगे। इस हेतु प्रत्येक विकास खण्ड पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें जनप्रतिनिधि उपलब्ध रहेंगे। जिलाधिकारी आयोजन के सम्बन्ध में समीक्षा कर कार्यवाही पूर्ण करा लें।
- मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के खाते में किश्त अवमुक्त की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें जिन किसानों को पूर्व में किश्त अवमुक्त हो चुकी है उन किसानों को किश्त अवश्य अवमुक्त हो। यदि आधार इनवेलिड होने पर किश्त रुकी हुई है तो बैंक में खाता संख्या से मिलान करके मिस मैचिंग को ठीक कराएं। जनपद कुशीनगर, देवरिया, गाजीपुर, गोरखपुर, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, बस्ती एवं सीतापुर में आधार इनवेलिड के कारण किश्त लम्बित हैं। जिलाधिकारी विशेष ध्यान देकर लम्बित प्रकरणों को ठीक कराएं।
- पराली प्रबन्धन के अन्तर्गत किसानों को सहायता की जाए ताकि किसानों द्वारा पराली, गन्ना पत्ती जलाने की समस्या का हल हो। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा किसानों को कृषि यन्त्र उपलब्ध कराएं।

वन एवं पर्यावरण

- सदस्य सचिव, प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य दिनांक 31.03.2020 तक पूर्ण कर लिया जाना था। दिनांक 01.04.2020 से पूर्ण होने तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने का मा0 अधिकरण द्वारा निर्देश दिए गए हैं। लीगेसी वेस्ट के रैमेडिएशन का कार्य दिनांक 01.04.2020 तक पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए गए थे। उक्त अवधि के उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरणीय क्षति अधिरोपित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य पूर्ण न किए जाने की दशा में प्रत्येक लोकल बाडीज पर 05 लाख रु0 प्रतिमाह प्रति एस0टी0पी0 की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार एस0टी0पी0 के संचालन प्रारम्भ न किए जाने की दशा में प्रत्येक लोकल बाडीज पर 10 लाख रु0 प्रतिमाह प्रति एस0टी0पी0 पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश दिए गए कि समस्त जिलाधिकारी तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- गौशाला/डेयरियों के संचालन एवं उनके द्वारा जनित ठोस एवं जल अपशिष्ट की वैज्ञानिक निस्तारण किया जाए।
- समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पतंग उड़ाने हेतु सिंथेटिक मांझा/शीसा लेपित/नायलॉन पतंग डोरी एवं चाईनीज मांझे का निर्माण/भण्डारण/उपयोग एवं बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- मा0 अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन नियम का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

- समस्त जिलाधिकारी वैटलैंड के संरक्षण एवं चिन्हांकन हेतु एक्शन प्लान तत्काल तैयार कर प्रेषित करें। इस सम्बन्ध में एन0जी0टी0/मा0 न्यायालय के निर्देशों पर समय से अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
- लाउड स्पीकर/सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली/जनरेटर्स/पटाखों के उपयोग से होने वाले ध्वनि नियमों के उल्लंघन किए जाने पर कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं डिप्टी एस0पी0 द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
- नगर पालिका परिषद लोनी, गाजियाबाद में एफएसटीपी का कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
- जिलाधिकारी कानपुर देहात एवं जिलाधिकारी कानपुर नगर अवैध क्रोमियम डम्प के दोषी उद्योगों से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली शीघ्र सुनिश्चित कराएं।
- जनपद गोरखपुर में रामगढ़ ताल के आस-पास के क्षेत्र में निस्तारित होने वाले घरेलू जल-मल को शुद्धिकृत किए जाने हेतु नगरीय ठोस अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन किया जाए तथा जिला पर्यावरण समिति की बैठक कर जिलों में वायु प्रदूषण नियन्त्रण के एक्शन प्लान उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
- जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी के तट पर ब्लैक पाउडर निस्तारित करने वाले दोषियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।
- जनपद अमरोहा स्थित प्रस्तावित टी0एस0डी0एफ0 की स्थापना ग्राम खरपड़ी, तहसील हसनपुर, अमरोहा में मे0 संगम मेडिसर्व. प्रा0 लि0 द्वारा की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण जिलाधिकारी अमरोहा द्वारा किया जाए।
- हिंडन कैचमेन्ट क्षेत्र में भू-जल प्रदूषण से सम्बन्धित 148 गाँव (सहारनपुर-1, मेरठ-10, गाजियाबाद-1, शामली-29, मुजफ्फरनगर-56, बोंगपत-51) में पाईपड पेय-जल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाए तथा 03 नए एस0टी0पी0(मुजफ्फरनगर, बुढ़ना, सहारनपुर) का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए।

राजस्व

- सचिव एवं आयुक्त राजस्व परिषद द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 15 दिसम्बर, 2020 से 15 फरवरी, 2021 तक वरासत अभियान चलेगा। वरासत अभियान में ऑन-लाइन आवेदन होने हैं, परन्तु आफलाइन आवेदन भी हुए हैं। निर्देश दिए गए कि आफलाइन आवेदनों को लेखपाल के द्वारा आनलाइन कराया जाए। अभी तक 05 जनपदों यथा गाजीपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया में अभियान की सूचना नहीं है। जिलाधिकारी ध्यान देकर आवेदन अपलोड कराएं। अभी तक प्राप्त 57 हजार आवेदनों में से 10 हजार आवेदकों का विरासत दर्ज हो गया है।
- जनपद मथुरा एवं बरेली में राजस्व अधिकारियों द्वारा खतौनी नहीं पढ़ी गयी है।

- कतिपय जनपदों यथा कासगंज, बदायूँ, शाहजहाँपुर, कानपुर नगर, भदोही, सतंकबीरनगर आदि में ऑन-लाइन आवेदन की प्रगति शून्य है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी कल (दिनांक: 22 दिसम्बर, 2020) तक आनलाइन कराएं।
- सचिव, राजस्व विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि शीतलहर के मद्देनजर कराए जा रहे कम्बल वितरण में 12 जनपदों यथा बुलन्दशहर, एटा, इटावा, कानपुर नगर, झोंसी आदि की प्रगति शून्य है। यह भी अवगत कराया गया कि जनपद औरैया, चन्दौली, बागपत, बस्ती सहित 12 जनपदों में स्थापित रैनबसेरों में कोई भी रह नहीं रहा है। निर्देश दिए गए कि जिलाधिकारी आज ही रैनबसेरों का निरीक्षण करें तथा इस सम्बन्ध में आज ही रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएं।

अल्पसंख्यक कल्याण

- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा अवगत कराया गया कि मल्टी सेक्टरल डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत विभिन्न मदों में जनपदों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष कई वर्षों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र जनपदों में लम्बित हैं। जिलाधिकारी विशेष ध्यान देकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराएं।

सामान्य निर्देश

- जिलाधिकारी, कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायतीराज अधिकारी के पद रिक्त होने के कारण कार्य कराने में काफी समस्या हो रही है। निर्देश दिए गए कि सम्बन्धित विभाग प्राथमिकता पर कार्यवाही कर अधिकारियों की तैनाती करें।

(कार्यवाही-चिकित्सा स्वास्थ्य/समाज कल्याण/माध्यमिक शिक्षा/पंचायतीराज)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

Annexure- 6

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-985/2019 विद 986/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 के अनुपालन की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2021 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में सम्बंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण की सूची संलग्न है।

बैठक में ओ0ए0 संख्या 985/2019 विद 986/2019 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 16.07.2020 एवं ओवरसाइट कमेटी द्वारा की गयी समीक्षा के उपरान्त दिये गये निर्देशों के क्रम में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा कृत कार्यवाही का अद्यतन स्टेटस एवं अग्रेतर अपेक्षित कार्यवाही का प्रस्तुतिकरण किया गया।

खानचन्दपुर, रनियाँ, कानपुर देहात में भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण हेतु उत्तरदायी यूपीसीडा द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा तीन बार टेण्डर आमंत्रित किये गये। परन्तु तीनों बार एक ही निविदा प्राप्त हुई तथा उसमें सूचित भण्डारित अवैध कोमियम डम्प के निस्तारण की लागत अनुमानित लागत के सापेक्ष काफी अधिक पाये जाने के कारण टेण्डर को निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में आई0आई0टी0, कानपुर से खानचन्दपुर रनियाँ कानपुर देहात में भण्डारित कोमियम वेस्ट का परीक्षण कर निस्तारण हेतु तकनीकी, अनुमानित लागत एवं निस्तारण हेतु रोडमैप सहित टेण्डर की शर्तों के सम्बंध में सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जिससे उनको सम्मिलित करते हुए पुनः निविदा आमंत्रित कर अग्रिम कार्यवाही की जा सके। अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग द्वारा सुझाव दिया गया कि आई0आई0टी0 कानपुर से तकनीकी, अनुमानित लागत एवं निस्तारण हेतु रोडमैप सहित टेण्डर की शर्तों के सम्बंध में समन्वय कर शीघ्र प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जायें तथा तकनीकी समिति के माध्यम से विचार विमर्श कर अन्तिम निर्णय लेते हुए शीघ्र निविदा आमंत्रित कर कोमियम वेस्ट को हटाने का कार्य शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये।

प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तकनीकी समिति के समक्ष आई0आई0टी0 कानपुर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर औद्योगिक विकास विभाग के सचिव स्तर से सहअध्यक्षता करते हुए प्रकरण पर शीघ्र निर्णय लेकर कोमियम वेस्ट के प्रभावी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करा ली जाये।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि कोमियम वेस्ट के निस्तारण एवं भूगर्भीय जलगुणता में सुधार हेतु आवश्यक धनराशि को 6 दोषी उद्योगों के विरुद्ध रूपये 280.01 करोड़ की पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल के आधार पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के माध्यम से ऐस्को एकाउण्ट में जमा कराया जाना था। परन्तु मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 04.01.2021 को पारित आदेश द्वारा सम्बंधित उद्योगों द्वारा दायर अपील की सुनवाई उपरान्त अगले आदेशों तक पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली पर रोक लगा दी गयी है। उद्योगों से प्रत्यावेदन प्राप्त कर उनके निस्तारण उपरान्त दोषी उद्योगों के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि खानचन्दपुर रनियाँ, कानपुर देहात एवं राखीमण्डी कानपुर में प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइपलाइन के माध्यम से प्रारम्भ की जा चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावित क्षेत्र में 02 हेल्थ कैम्प आयोजित किये गये थे, प्रारम्भिक हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आयोजित किये गये हेल्थ कैम्प में आने वाले मरीजों में पायी जाने वाली बीमारियों का सम्बंध क्रोमियम डम्प से सम्भावित दुष्प्रभावों से होना सिद्ध नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड-19 के कारण एस०जी०पी०जी०आई० के चिकित्सा अधीक्षक डा० हर्षवर्धन की अध्यक्षता में गठित चिकित्सकीय टीम की अन्तिम सर्वे रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

ओ०ए० संख्या 986/2019 के अन्तर्गत मा० एन०जी०टी० द्वारा उ०प्र० जल निगम पर अशुद्धिकृत सीवेज गंगा नदी में प्रवाहित करने के कारण रुपये 1.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, जिसे उ०प्र० जल निगम द्वारा जमा नहीं किया गया है। उ०प्र० जल निगम के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उ०प्र० जल निगम द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रुपये 1.0 करोड़ के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय में याचिका सं० सिविल अपील -002924-002925 /2020 (डायरी सं०-4835/2020) दायर की गयी है। उक्त वाद की पिछली सुनवाई दिनांक 12.01.2021 को हुई है जिसमें इस वाद को सिविल अपील नं० 988-989/2020 के साथ टैग करने का आदेश मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है।

2- अतः बैठक में सर्वसम्मति से निम्न कार्यवाही किये जाने के निर्णय लिये गये -

1- यूपीसीडा द्वारा आई०आई०टी० कानपुर से समन्वय कर क्रोमियम वेस्ट के निस्तारण हेतु तकनीकी, लागत, रोडमैप एवं निविदा शर्तों सम्बंधी रिपोर्ट प्राप्त की जाये। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन विभाग के सचिवों की संयुक्त अध्यक्षता में, गठित तकनीकी समिति के माध्यम से प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही हेतु परामर्श प्राप्त कर यूपीसीडा द्वारा शीघ्र टेण्डर आमंत्रित किये जाने की कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग / यूपीसीडा)

2- स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि किये गये सर्वे के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट विलम्बतम एक माह में पर्यावरण विभाग एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जाये।

(कार्यवाही-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)

3- मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 04.01.2021 के अनुपालन में उद्योगों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दोषी उद्योगों के विरुद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली करवाने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाये, जिससे वांछित धनराशि एस्को एकाउण्ट में जमा कर क्रोमियम वेस्ट को

टी0एस0डी0एफ0 के माध्यम से निस्तारण एवं प्रभावित क्षेत्र की भूगर्भीय जलगुणता के रेभिडियेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही-उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिलाधिकारी, कानपुर, / कानपुर देहात)

- 4- नगर विकास विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति से छूट हेतु औचित्य दिखाते हुए मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रभावी पैरवी की जाये।

(कार्यवाही-उ0प्र0 जल निगम)


सधन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7
संख्या-N.G.T.- 47/81-7-2021-44(रिट)/2016 टी.सी.-2
लखनऊ : दिनांक : 29 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- जिलाधिकारी, कानपुर नगर/कानपुर देहात।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
- 5- सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भारत प्रसाद)
अनु सचिव।

प्रश्नक,

निदेशक (स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग-7।

पत्रांक-9फ/एन०जी०टी०/2020-21/677

दिनांक-28 जुलाई 2021

विषय-मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में वाद सं० 985/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, U.P. तथा 986/2019 (ओ०ए०) In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, U.P. में अगली सुनवाई दिनांक-04.08.2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-607/पांच-7-2021 दिनांक-22 जुलाई, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन कि पत्र दिनांक-06.07.2021 संलग्नक सहित छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए वाद सं० 985/2019 In Re: Water Pollution by Tanneries at Jajmau, Kanpur, U.P. तथा 986/2019 (ओ०ए०) In Re: Water Pollution at Rania, Kanpur Dehat & Rakhi Mandi, Kanpur Nagar, U.P. में नियत अगली सुनवाई दिनांक-04.08.2021 को प्रकरण के संबंध में कृत कार्यवाही विषयक अनुपालन आख्या मा० अधिकरण के समक्ष एवं शासन को तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि कानपुर नगर में जाजमऊ में टैन्रीज द्वारा उत्सर्जित हानिकारक रसायन एवं कानपुर देहात में रनिया क्षेत्र एवं राखी मण्डी कानपुर के शहर के क्षेत्रों में प्रदूषण के प्रभाव के आकलन हेतु प्रमुख सचिव, श्री आलोक कुमार द्वारा दिनांक-18.12.2019 को कार्यालय आदेश संख्या-1272/पांच-7-2019 एवं विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति में डा० हर्षवर्धन विभागाध्यक्ष हॉस्पिटल एवं एडमिनिस्ट्रेशन, एस०जी०पी०जी०आई० के नेतृत्व में एक टीम गठित करके चिन्हित स्थल का सर्वेक्षण कर तदनुसार रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये थे (शासन के पत्र संख्या-113/पांच-7-2021 दिनांक-01 फरवरी, 2021 की छायाप्रति संलग्न)।

इस क्रम में डा० हर्षवर्धन द्वारा स्वयं एवं अपनी टीम द्वारा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया गया और अपनी रिपोर्ट शासन को दिनांक-11.02.2020 को प्रस्तुत की गयी। इस रिपोर्ट में यह वर्णित है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर ने राखी मण्डी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर देहात ने खान चन्दपुर में स्वास्थ्य शिविर (2019) लगवाये जिनमें क्रोमियम डम्प से सम्बन्धित कोई मरीज चिन्हित नहीं हो पाये थे।

अतः कमेटी ने अपने निर्णय में घर-घर जाकर प्रत्येक क्षेत्र में लगभग 200 घरों में सर्वे किये जाने की संस्तुति की है एवं प्रश्नावली के अनुसार निवासियों में क्रोमियम सम्बन्धी प्रभाव के बारे में पूछा जाने का सुझाव दिया। यदि क्रोमियम के कुप्रभाव से ग्रसित कोई रोगी मिलता है तो उसका समुचित इलाज कराया जाय। उनके खून एवं पेशाब के नमूने लेकर उसके क्रोमियम की मात्रा का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

इस संबंध में दिनांक-06.03.2021 को पत्रांक-एस०जी०पी०जी०आई०एम०एस०/एच०ए०/184/2021 के माध्यम से डा० हर्षवर्धन ने शासन को एक पत्र प्रेषित किया जिसमें उन्होंने इस रिपोर्ट पर अनुमोदन एवं विस्तीय स्वीकृति हेतु अनुरोध किया था। इस पर कार्यवाही प्रतीक्षित है (छायाप्रति संलग्न)।

उपरोक्त के क्रम में मार्च, 2020 से अप्रैल, 2021 तक राखी मण्डी एवं जाजमऊ में स्वास्थ्य कैम्प लगाये गये जिसमें कुल 974 मरीज देखे गये जिसमें 417 महिलाये एवं 145 बच्चे शामिल थे। इसमें

चर्मरोग से संबंधित 203 मरीज, स्वास रोग से सम्बन्धित 60 मरीज पाये गये। इसमें 01 कैंसर मरीज था। इसी प्रकार कानपुर देहात के खान चन्द्रपुर, सरवन खेड़ा एवं रनिया क्षेत्र में अगस्त से नवम्बर, 2020 तक स्वास्थ्य कैंम्प लगवाये गये जिनमें कुल 432 मरीज देखे गये जिनमें 208 महिलाये शामिल थी।

चूंकि मार्च 2021 के बाद कोविड-19 का प्रकोप प्रारम्भ हो गया जिसमें स्वास्थ्य शिविर स्थगित कर दिये गये।

शुच्य है कि कोविड-19 का प्रकोप कम है अतः स्वास्थ्य कैंम्प पुनः शुरू कर दिये गये है दिनांक-23.07.2021 को राखी मण्डी में 150 मरीज देखे गये जिनमें 51 मरीज चर्मरोग, 89 अन्य रोग से पीड़ित थे (छायाप्रति संलग्न)। दिनांक-27.07.2021 कानपुर नगर के जाजमऊ में स्वास्थ्य शिविर लगवाये जिनमें 97 मरीज देखे गये (छायाप्रति संलग्न)। कानपुर देहात में भी स्वास्थ्य शिविर शुरू हो गये है। कानपुर देहात के चन्द्रपुर, सरवन खेड़ा एवं रनिया क्षेत्र में दिसम्बर, 2020 से जुलाई, 2021 तक कैंम्प लग रहे है और इस अवधि में 396 मरीज देखे गये जिनमें 188 महिलाये एवं 198 पुरुष थे (छायाप्रति संलग्न)।
संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

निदेशक (स्वास्थ्य)

पत्रांक-निदे0स्वा0/कैम्प/2020-21/

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि स्टाफ आफिसर, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक (स्वास्थ्य)



Department of Hospital Administration
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raebareli Road, Lucknow, U.P.

Ref. No: SGPGIMS / HA / 164 / 2021

Date: 06-3-2021

From : Dr. R. Harshvardhan, HoD, Hospital Administration, SGPGIMS

To : Sh. Anil Mohan Prasad IAS, Additional Chief Secretary, Deptt. of Health & Family Welfare, Govt. of U.P.

Sub : Request for perusal & approval of report submitted on 11-02-2020, reg.

Ref : Letter No. 113/S-7-2021 Dated: 01-02-2021

With regard to the subject & reference mentioned as above, I wish to draw your attention towards the following:

1. Pursuant to previous meeting & letter, the undersigned had been to the site, did a detailed survey & submitted his report (attached in the mail).
2. In the said report, the undersigned had recommended a line of action & the stakeholders involved, along with the timeline for implementation of the actions.
3. The recommendations made in the report submitted on 11-02-2020 were supposed to be approved by the Department of Health & Family Welfare, Govt. of U.P., so that the same can be taken forward.
4. Unless the report gets approved from the Deptt. of Health & Family Welfare, Govt. of U.P., the undersigned cannot take forward the work as the actions suggested in the report require involvement of many stakeholders and have financial implications viz. TA/DA, survey, sample investigation, etc.

Therefore, you are kindly requested by the undersigned to please peruse the report & grant approval if deemed appropriate, so that further action can be taken in light of your letter dated 01-02-2021 received by the undersigned.

Warm Regards!


(Dr. R. Harshvardhan)
HoD, Hospital Administration
SGPGIMS



**Department of Hospital Administration
Sanjay Gandhi Post Graduate Institute of Medical Sciences
Raebareli Road, Lucknow, U.P.**

Enclosure:

- Kanpur District Chromium Dump Site Visit Report

Copy: for information

- DGHS, Deptt. of Health & Family Welfare, Govt. of U.P.
- Director, Health, Deptt. of Health & Family Welfare, Govt. of U.P.
- Dr. R. Harsvardhan, HoD, Hospital Administration, SGPGIMS
- O/o HoD, Hospital Administration, SGPGIMS


(Dr. R. Harsvardhan)
HoD, Hospital Administration
SGPGIMS

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक: मु0चि0अ0 / एन0यू0एच0एम0 / आउटरीच कैम्प / 2021-22 / 144
आदेश

दिनांक: - 19/07/2021

प्रभारी चिकित्साधिकारी
न0प्रा0स्वा0केन्द्र अनवरगंज
(एन0यू0एच0एम0) कानपुर नगर।

विषय - आउटरीच कैम्प आयोजित करने के संबंध में।

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:- निदे0स्वा0 कैम्प 2020-21/515 दिनांक 25 जून 2021 के द्वारा आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य व जांच शिविर दिनांक 23 जुलाई 2021 को मलिन बस्ती राखी मण्डी, कानपुर नगर में आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जो प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक चलेगा जिसका विवरण निम्नवत है-

शिविर स्थल	मलिन बस्ती राखी मण्डी, कानपुर नगर
चिकित्सक	डॉ नम्रता सिंह (न0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र रायपुरवा) (मो0-7081007205), डॉ एस0 के0 शुक्ला (न0 प्रा0 स्वा0केन्द्र जूही) (मो0-9336109382)
फार्मासिस्ट	श्री अरविन्द (मो0-8299727830),
स्टाफ नर्स	श्रीमती प्रमिला शुक्ला (मो0-7007595495)
लैब टेक्नीशियन	श्री योगेश (मो0-8004107070)
आप्ट्रोमेटिस्ट	श्री अभिषेक गौतम (मो0-9369995048)
ए0एन0एम0	श्रीमती कल्पना (मो0-9838274595)
सपोर्ट स्टाफ	श्री सौरभ (मो0- 8081788711)

उपरोक्त नामित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित स्थल पर सम्पूर्ण व्यवस्था सहित उपस्थित होकर कार्य करें एवं सलग्न प्रारूप पर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० एस० के० सिंह)
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
कानपुर नगर
तददिनांक


पत्रांक:- मु0चि0अ0 / एन0यू0एच0एम0 / आउटरीच कैम्प / 2021-22 /
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर नगर।
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0सी0डी0 को इस अनुरोध से कि उपरोक्त कैम्प में एन0सी0डी0 टीम को प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. उपरोक्त समस्त कैम्प चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इस आशय से कि कैम्प स्थल पर ससमय उपस्थित होकर कार्य करना सुनिश्चित करें।
5. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से कि एन0सी0डी0 को उपरोक्त कैम्प में प्रतिभाग करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डॉ० एस० के० सिंह)
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
कानपुर नगर

राखी मंडी केम फॉर्मेट

S.no	DATE	UPHC Name	No. of Male Patients Registered	No. of Female Patients Registered	No. of Child Patients Registered	Total No. of patients	No. of Patient (Liver)	No. of Patient (Respiratory)	No. of Patient (Gastro)	No. of Patient (Diabetes)	No. of Patient (Skin)	No. of Patient (Tuberculosis)	No. of Patient (Anemia)	No. of Patient (Hypertension)	No. of Patient (Cancer)	No. of Patient (ANC)	No. of Patient (Malnutrition Child)	No. of Patient (Other Disease)	No. of Patient Referred	No. of Patient referred for Medical Treatment	No. of Patient referred for General Surgery	No. of Patient referred for Eye Surgery	No. of Patient referred for ENT Surgery	No. of Patient referred for Obs & Gynaec Surgery	No. of Patient referred for Other Surgery
	23.7.21	ANILAPURAM	77	64	9	150	-	2	2	3	51	-	-	2	-	1	-	89	-	-	-	-	-	-	-


 श्रीमती. प्रियंका अधिकारी
 डी.ए.डी. राखी, आनिलपुरम
 तालुका, राखी, जिला

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक: मु0चि0अ0/एन0यू0एच0एम0/आउटरीच कैम्प/2021-22/14-2

दिनांक:- 19/07/2021

आदेश

प्रभारी चिकित्साधिकारी
न0प्रा0स्वा0केन्द्र जाजमऊ
(एन0यू0एच0एम0) कानपुर नगर।

विषय - आउटरीच कैम्प आयोजित करने के संबंध में।

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:- निदे0स्वा0/कैम्प/2020-21/515 दिनांक 25 जून 2021 के द्वारा आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य व जांच शिविर दिनांक 27 जुलाई 2021 को मलिन बस्ती मकदूम शाह का हाता, कानपुर नगर में आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जो प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक चलेगा जिसका विवरण निम्नवत है-

शिविर स्थल	मलिन बस्ती मकदूम शाह
चिकित्सक	डॉ स्वाती अग्निहोत्री (न0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र जाजमऊ) (मो0- 894866112) डॉ पंकज मेहरोत्रा (न0प्रा0स्वा0केन्द्र जाजमऊ) (मो0- 9415041592)
फार्मासिस्ट	श्री दीपक (मो0- 7007591006)
स्टाफ नर्स	श्रीमती आकांक्षा सचान (मो0-6392972439)
लैब टेक्नीशियन	श्री अंकित (मो0- 7905204002)
ए0एन0एम0	श्रीमती मीरा देवी (मो0- 7800905177)
सपोर्ट स्टाफ	श्री आकाश (मो0- 9616797835)

उपरोक्त नामित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित स्थल पर सम्पूर्ण व्यवस्था सहित उपस्थित होकर कार्य करें एवं सलग्न प्रारूप पर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० एस० के० सिंह)
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
कानपुर नगर
तददिनांक

पत्रांक:- मु0चि0अ0/एन0यू0एच0एम0/आउटरीच कैम्प/2021-22/
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर नगर।
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0सी0डी0 को इस अनुरोध से कि उपरोक्त कैम्प में एन0सी0डी0 टीम को प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. नोडल अधिकारी आर0आर0टी0 को इस आशय से कि आर0आर0टी0 टीम को उपरोक्त स्थल पर समय से उपस्थित होने के लिए निर्देशित करें।
5. उपरोक्त समस्त कैम्प चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इस आशय से कि कैम्प स्थल पर ससमय उपस्थित होकर कार्य करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० एस० के० सिंह)
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
कानपुर नगर

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक: मु0चि0अ0/एन0यू0एच0एम0/आउटरीच कैम्प/2021-22/143
आदेश

दिनांक:- 19/07/2021

प्रभारी चिकित्साधिकारी
न0प्रा0स्वा0केन्द्र रायपुरवा
(एन0यू0एच0एम0) कानपुर नगर।

विषय - आउटरीच कैम्प आयोजित करने के संबंध में।

निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या:- निदे0स्वा0/कैम्प/2020-21/515 दिनांक 25 जून 2021 के द्वारा आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित किये जाने के निर्देश के अनुपालन में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य व जांच शिविर दिनांक 30 जुलाई 2021 को मलिन बस्ती राखी मण्डी, कानपुर नगर में आउटरीच हेल्थ कैम्प आयोजित किया जाना प्रस्तावित है जो प्रातः 09:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक चलेगा जिसका विवरण निम्नवत है-

शिविर स्थल	मलिन बस्ती राखी मण्डी, कानपुर नगर
चिकित्सक	डॉ नम्रता सिंह (न0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र रायपुरवा) (मो0-7081007205), डॉ सतीश गुप्ता (न0 प्रा0 स्वा0केन्द्र धरीपुरवा) (मो0-9415041849)
फार्मासिस्ट	श्री अनिल यादव (मो0-6395322457)
स्टाफ नर्स	श्रीमती प्रमिला शुक्ला (मो0-7007595495)
लेब टेक्नीशियन	श्री योगेश (मो0-8004107070)
आप्टोमेटिस्ट	श्री अभिषेक गौतम (मो0-9369995048)
ए0एन0एम0	श्रीमती कल्पना (मो0-9838274595)
सपोर्ट स्टाफ	श्री सुरेन्द्र (मो0-8874930698)

उपरोक्त नामित चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ एवं सपोर्ट स्टाफ को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित स्थल पर सम्पूर्ण व्यवस्था सहित उपस्थित होकर कार्य करें एवं सलग्न प्रारूप पर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० एस० के० सिंह)
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
कानपुर नगर

पत्रांक:- मु0चि0अ0/एन0यू0एच0एम0/आउटरीच कैम्प/2021-22/तददिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 लखनऊ।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी कानपुर नगर।
3. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एन0सी0डी0 को इस अनुरोध से कि उपरोक्त कैम्प में एन0सी0डी0 टीम को प्रतिभाग करने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. उपरोक्त समस्त कैम्प चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को इस आशय से कि कैम्प स्थल पर ससमय उपस्थित होकर कार्य करना सुनिश्चित करें।
5. नोट: नगर स्वास्थ्य अधिकारी को इस आशय से कि एन0सी0डी0 को उपरोक्त स्थल पर उपस्थित होने के लिये निर्देशित करें।

(डॉ० एस० के० सिंह)
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी
कानपुर नगर

संश्लेषण तालिका

Sl. No.	DATE	UPHC Name	No of Male Patients Registered	No of Female Patients Registered	No of Child Patients Registered	No of Patients Referred to Hospital (MCH)	No of Patients Referred to Hospital (GYN)	No of Patients Referred to Hospital (Dental)	No of Patients Referred to Hospital (Skin)	No of Patients Referred to Hospital (ENT)	No of Patients Referred to Hospital (Ophthalmology)	No of Patients Referred to Hospital (General Surgery)	No of Patients Referred to Hospital for the Surgery	No of Patients Referred to Hospital for the Surgery	No of Patients Referred to Hospital for the Surgery	No of Patients Referred to Hospital for the Surgery	
1	27/7/2021	ए.यु.ए. चिकित्सालय	30	67	20	97	3	3	6	2	3	3	0	0	0	0	0

उपरोक्त तालिका (ए.यु.ए. चिकित्सालय) को आधार पर तैयार की गई है।
 तारीख: 27/7/2021

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
कानपुर देहात।

सेवा में,

निदेशक (स्वास्थ्य)
स्वास्थ्य भवन
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक-का0दे0/मु0चि0अ0/मेडिकल कैम्प/परीक्षण/2021/3771

दिनांक-28.07.2021

विषय-मेडिकल कैम्प की रिपोर्ट प्रेषण के संबंध में।
महोदय,

सादर अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात के ग्राम खानचन्द्रपुर सरवागखेड़ा में चिकित्सकीय कैम्प का आयोजन विभिन्न तिथियों में किया गया था। जिसकी रिपोर्ट आपको सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि। कुल वर्क-(30)

भवदीय


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कानपुर देहात

दिसम्बर 2020 से जुलाई 2021 तक

HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE CHAUHANPURWA, KHANCHANDPUR,
SARWANKHERA

22

NOTE: DURING SCREENING /HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED

DATE: 08/12/2020

ALOPECIA	DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OA	HYPER TENSION	ARTHRITIS
0	7	0	5	3	3	0	0
M/F	M/F 3/4	M/F	M/F 3/2	M/F 1/2	M/F 1/2	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
06	02	2	0	01	02	0	0
M/F 1/5	M/F 0/2	M/F 2/0	M/F	M/F 0/1	M/F 2/0	M/F 0/0	M/F 0/0
CERVICAL LYMPHADENOPATHY	GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTICARIA	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0	4	0	06	0	0	0	07
M/F 0/0	M/F 2/2	M/F 0/0	M/F 4/2	M/F	M/F 0/0	M/F	M/F 4/3

TOTAL PATIENT	48
MALE	23
FEMALE	25

MRS KAMLA PAL, AGE 58 W/O Mr ASHAFI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM J K CANCER INSISTUTE KANPUR OR ANY WHERE ELSE. ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.

HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, SARWANKHERA

(21)

NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED

DATE: 24/12/2020

ALOPECIA	DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OA	HYPER TENSION	ARTHRITIS
0	6	0	5	2	4	0	0
M/F	M/F 2/4	M/P	M/F 2/3	M/F 0/2	M/F 3/1	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
07	2	1	0	0	6	0	0
M/F 6/1	M/F 0/2	M/F 0/1	M/F	M/F 0/0	M/F 4/2	M/F 0/0	M/F 0/0
CERVICAL LYMPHADENOPATHY	GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTI	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0	6	3	3	0	0	0	4
M/F 0/0	M/F 5/1	M/F 1/2	M/F 2/1	M/F	M/F 0/0	M/F	M/F 1/3

TOTAL PATIENT	49
MALE	26
FEMALE	23

MRS KAMLA PAL, AGE 58 W/O Mr ASHARFI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM JK CANCER INSISTUTE KANPUR OR ANY WERE ELSE. ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.

HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, PALANSHIKHARA

HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, SARWANKHERA

NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED

DATE: 30/01/2021

ALOPECIA	DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OA	HYPER TENSION	ARTHRITIS
0	4	0	1	1	6	0	0
M/F	M/F 1/3	M/F	M/F 0/1	M/F 1/0	M/F 4/2	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
08	2	3	0	6	2	0	0
M/F 4/4	M/F 0/2	M/F 0/3	M/F	M/F 3/3	M/F 2/0	M/F 0/0	M/F 0/0
CERVICAL SAPHRADE NEURATHY	GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTI	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0	3	2	5	0	0	0	4
M/F 0/0	M/F 2/1	M/F 1/1	M/F 4/1	M/F	M/F 0/0	M/F	M/F 3/1

TOTAL PATIENT	47
MALE	25
FEMALE	22

MRS KAMLA PAL, AGE 58 W/O Mr ASHARFI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM JK CANCER INSISTUTE KANPUR OR ANY WERE ELSE. ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.

**HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KIANCHANDPUR, PALANPURWA,
SARWANKHERA**

NOTE: DURING SCREENING /HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED

DATE: 26/02/2021

ALOPECIA	DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOMIC	SARFES	OA	HYPERTENSION	ARTHRITIS
0	3	0	4	4	3	0	0
M/F	M/F 1/2	M/F	M/F 2/2	M/F 1/3	M/F 1/2	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SIRUSITIS	PROCTITIS
07	0	2	0	15	1	0	0
M/F 1/1	M/F 0/0	M/F 2/0	M/F	M/F 3/12	M/F 0/1	M/F 0/0	M/F 0/0
CERVICAL LYMPHADENOPATHY	GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTI	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0	2	0	5	0	0	1	0
M/F 0/0	M/F 1/1	M/F 0/0	M/F 3/2	M/F	M/F 0/0	M/F 1/1	M/F 0/0

TOTAL PATIENT	43
MALE	16
FEMALE	27

75 RAJLA PAL, AGE 50 W/O M/ ASHANTI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM I X CANCER HOSPITUTE KANPUR OR ANY WHERE. ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSLTY TAKEN.

HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, PALANPURWA
SARWANKHERA

HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, YADAVKAPURWA
SARWANKHERA

NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR
MALIGNANCY DETECTED

DATE: 07/03/2021

OPICIA	DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OA	HYPERTENSIO	ARTHRITIS
0	4	0	5	1	6	0	0
M/F	M/F 1/3	M/F	M/F 4/1	M/F 0/1	M/F 4/2	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
07	1	3	0	10	2	0	0
M/F 3/4	M/F 1/0	M/F 3/0	M/F	M/F 7/3	M/F 2/0	M/F 0/0	M/F 0/0
OPICIA	GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	UTI	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0	2	0	5	0	0	3	0
M/F 0/0	M/F 1/1	M/F 0/0	M/F 4/1	M/F	M/F 0/0	M/F 0/3	M/F 0/0

TOTAL PATIENT	49
MALE	30
FEMALE	19

MRS KAMLA PAL, AGE 58 W/O Mr ASHARFI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM I K CANCER INSISTUTE KANPUR OR ANY WERE ELSE. ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.

05

OF VILLAGE KHANCHANDPUR, PALANPURWA
 HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, PALANPURWA
 , SARWANKHERA
 DURING SCREENING /HEALTH CAMP NO POSITVIE CASE OF CARCINOMA OR
 EMANCY DETECTED

DATE : 15/04/2021

DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OA	HYPER TENSION	ARTHRITIS
4	0	0	0	5	0	0
M/F 1/3	M/F 0/0	M/F	M/F	M/F 0/5	M/F	M/F
CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
0	1	0	0	0	0	0
M/F 0/0	M/F 0/1	M/F	M/F	M/F	M/F 0/0	M/F 0/0
GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTI	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0	0	1	0	0	0	0
M/F	M/F 0/0	M/F 4/0	M/F	M/F	M/F	M/F

TOTAL PATIENT	17
MALE	11
FEMALE	06

MRS KAMLA PAL ,AGE 58 W/O Mr ASHARFI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM JKC CANCER INSISTUTE KANPUR OR ANY WERE ELSE.ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.

HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, PALANPURWA
 HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, CHAUHANPURWA
 SARWANKHERA

DATE: 14/06/2021
 DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR
 PREGNANCY DETECTED

	DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OA	HYPER TENSION	ARTHRITIS
0	3	0	2	0	4	0	0
M/F	M/F 1/2	M/F 0/0	M/F 1/1	M/F	M/F 3/1	M/F	M/F
LOWER BACK PAIN	CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
0	0	2	0	4	0	0	0
M/F 1/2	M/F 0/0	M/F 0/2	M/F	M/F 1/4	M/F	M/F 0/0	M/F 0/0
LYMPHOMA	GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTI	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0	0	0	2	0	0	1	0
0/0	M/F	M/F 0/0	M/F 2/0	M/F	M/F	M/F 0/1	M/F

TOTAL PATIENT	21
MALE	09
FEMALE	12

MRS KAMLA PAL, AGE 58 W/O Mr ASHARFI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM J K CANCER INSISTUTE KANPUR OR ANY WERE ELSE. ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.

27


OF VILLAGE KHANCHANDPUR, PALANPURWA
 HEALTH CAMP REPORT OF VILLAGE KHANCHANDPUR, CHAUHANPURWA
 SARWANIKHERA

NOTE: DURING SCREENING / HEALTH CAMP NO POSITIVE CASE OF CARCINOMA OR
 MALIGNANCY DETECTED

		DATE: 01/06/2021						
		DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OSA	HYPERTENSION	ARTHRITIS
1	M/F	1	0	5	0	0	0	0
LOWER BACK PAIN		M/F 0/1	M/F 0/0	M/F 2/3	M/F	M/F 0/0	M/F	M/F
2		CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
		0	3	0	5	0	0	0
3	M/F 1/1	M/F 0/0	M/F 2/1	M/F	M/F 7/1	M/F	M/F 0/0	M/F 0/0
CERVICAL LYMPH NODE ENLARGEMENT		GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTICARIA	ACNE ROSACEA	ECZEMA
0		0	0	1	0	0	2	0
4	M/F 0/0	M/F	M/F 0/0	M/F 1/0	M/F	M/F	M/F 1/1	M/F

TOTAL PATIENT 22
 MALE 10
 FEMALE 08

MRS KAMLA PAL, AGE 58 W/O Mr ASHRAFI LAL, A PUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM JK CANCER INSTITUTE KANPUR OR ANY WHERE ELSE. ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.



PRELIMINARY SCREENING /HEALTH CAMP NO POSITVIE CASE OF CARCINOMA OR MALIGNANCY DETECTED


DATE: 12/07/2021

	DERMATITIS CONTACT	PHARYNGITIS	DERMATITIS ATOPIC	SCABIES	OA	HYPER TENSIO N	ARTHRITIS
	3	0	3	2	2	0	0
	M/F 1/2	M/F 0/0	M/F 2/1	M/F 1/1	M/F 1/1	M/F	M/F
	CSOM	CONJUNCTIVITIS	BRONCHITIS	COMMON COLD	CS	SINUSITIS	FROZEN SHOULDER
	2	4	0	9	0	0	0
	M/F 1/1	M/F 2/2	M/F	M/F 2/7	M/F	M/F 0/0	M/F 0/0
	GASTRITIS	ALLERGIC RHINITIS	GERD	ASTHMA	URTI	ACNE ROSACEA	ECZEMA
	2	0	5	0	1	2	0
	M/F 2/0	M/F 0/0	M/F 2/3	M/F	M/F 1/0	M/F 0/2	M/F

TOTAL PATIENT	39
MALE	19
FEMALE	20

MRS KAMLA PAL ,AGE 58 W/O Mr ASHARFI LAL, A FUC OF SQUAMOUS CELL CARCINOMA LEFT CHEEK IS NOT TAKING ANY FURTHER TREATMENT FROM JK CANCER INSISTUTE KANPUR OR ANY WERE ELSE.ALL RISK HAS BEEN EXPLAINED TO HER AND HER RELATIVES AND WRITTEN CONSENT TAKEN.

Kanpur District Chromium Dump Site Visit Report



*to sent on
4/2/10*

Submitted by -

Dr. R Harsvardhan

Head, Department of Hospital Administration, SGPGIMS

For & On Behalf of the

Expert Committee constituted by Principal Secretary, Department of Medical,
Health & Family Welfare, GoUP

28 December 2019

Site Visit Report

Subject: Report of the Site Visit and Recommendations by the Committee constituted under instructions by Principal Secretary, Department of Medical, Health & Family Welfare, Govt. of Uttar Pradesh.

Background summary: National Green Tribunal instructed Govt. of Uttar Pradesh to ascertain the ill-effects of chromium dump in Kanpur at 2 sites. Principal Secretary, Department of Medical, Health & Family Welfare, Govt. of Uttar Pradesh constituted a Committee for the same and directed the Committee to submit its report.

Problem statement:

An issue of possible chromium toxicity has recently been anticipated due to possible drainage of untreated sewage discharge containing toxic chromium into Ganga in Kanpur. This is expected to result in contamination of groundwater affecting the health and life of the inhabitants and fauna. This may expose inhabitants to serious health hazards. It was also claimed that this problem is existing since last almost 40 years. Major affected sites identified were Rania in Kanpur Dehat and Rakhi Mandi in Kanpur Nagar, U.P.

As per recent report provided by CMO Kanpur Nagar of health camp at Rakhi Mandi (dated 24 Nov 2019) and CMO Kanpur Dehat (dated 28 Nov 2019) of health camp at village Khan Chandpur, majority of the health condition identified were of skin, gastrointestinal tract, and respiratory system followed by some cases of anaemia and musculoskeletal problems.

Existing evidence

Clinical manifestation of chromium toxicity depends on the way of entry to the body (i.e. inhalational, ingestion and/ or dermal contact) and site of accumulation of chromium. Some of the common health conditions related to the chromium exposure are^{1,2}, are gastrointestinal (irritation and ulcer), anaemia, bronchial asthma, lung and nasal ulcers and cancers, skin allergies, reproductive and developmental problems and this chromium is carcinogenic in nature.

Study conducted by Sharma P. *et al.* (2012)³ in Kanpur also concluded that the residents living in chromium contaminated areas were having higher prevalence of self-reported gastrointestinal and skin ailments along with clinical alterations, abnormal hematological function and genotoxic defects.

Details of the visit:

Site 1: Rakhi mandl, Kanpur Nagar

As per local residents, earlier the site was used to dump the wastage in form of ash mainly from coal used in rail engine. People started to reside near this dump site and are staying there till date. It was observed by the committee that currently there is no such old ash dump. There was a pile of scrap materials at the old site of dump. The streets in the nearby area were full of sewage water. Main source of drinking water for the people residing in the nearby areas was submersible pump.

Health camp was already organized by the local health authorities. Health personnel were already present in the health camp. Blood samples were collected from 44 individuals. Water sample was collected from one hand pump and two submersible pumps separately. Soil sample was also collected from the dump site for laboratory analysis, report of which is enclosed.

Site 2: Village Klian Chandpur, Rauja, Kanpur Dehat

Village was near to the site of solid waste dump. Health camp was already organized by the nearby Primary Health Centre. Various health personnel were present in health camp including ASHA who managed to gather the local peoples. Main source of drinking water for the nearby houses was hand pump and submersible pump.

Blood samples were collected from 40 individuals. Water sample was collected from the hand pump and submersible pump separately. Soil sample was also collected from the dump site.

Recommendations of the committee:

After the preliminary assessment of the sites near chromium dump, the committee recommended to take level actions for comprehensive baseline assessment of exposure and for mitigation and prevention of ill-effects due to chromium dump.

Following actions are recommended:

1. Comprehensive assessment of probable source of exposure i.e. chromium dump.
2. Ascertainment of health effects on the population due to chromium dump.
3. Efforts to mitigate, manage and prevention of health effects on the residing population.

Comprehensive assessment of probable source of exposure

A number of cases of chromium toxicity has recently been noted in the areas near site of chromium dump. However, to reliably establish that the cases are due to chromium toxicity, it is essential to establish that the chromium dump has led to elevated levels of the chromium in the nearby areas. To establish it, there is a need to estimate the levels of chromium in the nearby areas. An assessment of chromium levels of air, water, and soil will be done in the nearby areas. Multiple samples of air,

water, and soil will be collected from the nearby areas for this purpose. These samples will then be tested in the laboratory for assessment of chromium levels. This will help in establishing the source of chromium exposure for the population residing in the nearby areas. Literature review shall also be done to understand the chain of transmission of chromium from an open source to the population.

Ascertainment of health effects on the population due to chromium dump

A comprehensive assessment of the population residing in the nearby areas will be done to ascertain the ill-effects of the chromium dump on the population. It will be done in following 4 steps:

1. **Record review:** A list of the health care practitioners will be prepared with the help of local health authorities. All the health care practitioners will be contacted and will be requested to provide their mortality, morbidity records to identify the number of probable cases due to chromium toxicity. If records are not available, then structured questionnaire will be administered to seek the information regarding the cases of chromium toxicity.
2. **Interview to elicit chromium related illnesses:** A structured interview schedule will be prepared to elicit chromium related illnesses in the population residing in the nearby areas excluding local healthcare professionals. Questions will be asked to enquire about common illnesses due to chromium exposure which includes respiratory illnesses, skin diseases, and gastrointestinal diseases among others. A total of 200 houses will be surveyed near each of the two sites. Questions regarding the illnesses among all the household members will be asked to the person who can understand the questions. Sampling of houses will be done on the basis of number of houses in the area. If the no. of houses will be more than 200, then random sampling will be adopted and then the area will be surveyed. Affected individuals will be referred to the appropriate higher centres for the evaluation and management.
3. **Clinical investigation:** To confirm the presence of higher levels of chromium in the body, investigations of the probably affected population will be done. From each of the two sites, 200 blood and urine samples will be collected. The sampling methodology will be same as that of questionnaire. Precautions will be taken to avoid contamination. Stainless steel syringes will not be used as they affect the estimation of chromium in the samples.
4. **Clinical assessment and treatment:** For the clinical assessment of affected population, a camp will be organized to understand the morbidity profile of the population. The affected individuals will be provided appropriate treatment as per their illness. If any serious illness will be noted, the patients will be referred to higher centre depending upon the type of illness.

Efforts to manage, mitigate and prevention of health effects on the residing population

1. **Management of affected population:** Population affected due to chromium toxicity will be identified and given appropriate treatment during house visits &/or clinical assessment.

illness will be serious, the patients will be referred for appropriate management to GSVNIMC/SQPGIMS/SSCI&H.

2. Mitigation of the source: If the chromium dump will be found to be responsible for the toxic effects in the population, the existing source will be removed with the help of the municipal corporation of Kanpur and local health authorities. The contaminated sources will be detoxified with the help of environment scientists. It's very pertinent to recommend here that an alternate source of potable water need to be ensured to the inhabitants of the affected area.
3. Prevention of toxicity: Nearby population will be routinely screened for the possible ill effects due to chromium toxicity. The identified individuals will be provided appropriate treatment.

Table 1: Distribution of roles and responsibilities for the recommended actions by the committee

S. No.	Roles	Responsibility
1	Environmental sampling of the nearby areas	BBAU
2	Containers and other logistics for environmental sampling	CMO Office, Kanpur
3	Testing of environmental samples for chromium levels	CSIR-IITR
4	Preparation of list of health care practitioners of the nearby areas	CMO Office, Lucknow
5	Record review/questionnaire administration for health care practitioners	CMO Office, Kanpur under technical guidance of SGPGIMS & SSCIH
6	Preparation of questionnaire for population survey	SGPGIMS, SSCIH & RMLIMS
7	Survey in the nearby areas	Dept. of PSM, GSVM Kanpur & CMO Office, Kanpur
8	Finalization of methodology for survey and clinical investigation of the affected population	SSCIH & SGPGIMS
9	Collection of bodily samples for assessment of chromium	Dept. of PSM, GSVM Kanpur & CMO Office, Kanpur
10	Containers and other logistics for collection of bodily samples	CMO Office, Kanpur
11	Testing of bodily samples for chromium levels	CSIR-IITR
12	Clinical assessment of affected population	Dept. of PSM, GSVM Kanpur & CMO Office, Kanpur
13	Management of the affected population	GSVMIC, SGPGIMS & SSCIH
14	Source mitigation	All stakeholders

15 Prevention of toxicity in future

All stakeholders


✓

Table 2: Proposed timelines for the actions to be taken

S. No.	Actions	Timeline
1	Preparation of questionnaire for the survey	7 - 14 January 2020
2	Survey in the affected area	15 - 25 January 2020
3	Preparation of survey report	26 - 31 January 2020
4	Submission of report	31 January 2020
5	Collection of bodily samples for assessment of chromium	February 2020

Conclusion: It would be pertinent if the measures recommended as above can be executed by the District administration of the affected areas, possibly out of appropriate budget earmarked for this by NGT, as per the judgment delivered, through the different stakeholder arms of govt. including district health authorities & GSVM Medical College, Kanpur.

Dr. Akhilesh K Yadav
CSIR-IITR, Lucknow


Dr. R. Harsvardhan
SGPGIMS, Lucknow

Dr. RK Sahu
BBA University, Lucknow

Dr. Ayush Lohiya
SSCI&H, Lucknow

Dr. Samarjeet Kaur
GSVMC, Kanpur

Dr. Bhanu Pratap Singh
RMLIMS, Lucknow

Signatures of committee members

Assessment of chromium levels from environmental and bodily samples

1. At Rakhi Mandi, three water samples were analysed and none of the water samples had elevated chromium levels. Blood samples were collected from 44 individuals, out of which 4 (9%) had elevated chromium levels (>3 microgram/100ml).
2. At Rania site, two water samples were analysed and both had elevated chromium levels (>0.05 mg/litre). Blood samples were collected from 40 individuals at Rania site, out of which 9 (22%) had elevated chromium levels (>3 microgram/100ml).

Annexure 1: Draft Questionnaire

ID No.

HEALTH STATUS

Purpose of study: Screening of suspected chromium exposure

Name of respondent:

Age/gender:

Date:

Site: 1. Rania/2. Rakhi Mandi.

Address:

ASHA name:

Family no.:

Case no.:

Source of drinking water: 1. Submersible/2. Hand pump/3. Tap water/4. Others (specify)

Occupation:

Ever smoker: 1. Yes/2. No

Current health status of the respondent

Respiratory system

1. क्या आपको नाक में कोई जलन/ चुभन/नजला / की शिकायत है ?
2. निम्न में से आपको स्वांस की कोई समस्या तो नहीं है ?
- | | |
|----|--------------------|
| 1. | नास फूलना |
| 2. | खासी |
| 3. | छाती में दर्द |
| 4. | छाती में जकड़न |
| 5. | अन्य (उल्लेख करें) |

Dermatological

3. निम्न में से आपको त्वचा की कोई समस्या तो नहीं है ?
(Mention duration, if symptoms are present)
- | | |
|----|---------------------------------|
| 1. | खुजली |
| 2. | त्वचा में जलन |
| 3. | त्वचा में कोई अलग-अलग |
| 4. | फोड़ा / फुत्ती / दाढ़ी की गहराई |
| 5. | अन्य (उल्लेख करें) |

Urinary system

4. निम्न में से आपको कोई समस्या तो नहीं है ?
- | | |
|----|-------------------|
| 1. | पेशाब में खून |
| 2. | पेशाब में रेत आना |

Nervous system

5. निम्न में से आपको कोई समस्या तो नहीं है ?

3. अन्य पेसव संबंधित (उल्लेख करें)

1. सिर में दर्द
2. घबराहट
3. शरीर के किसी हिस्से में झनझनाहट
4. अन्य (उल्लेख करें)

GI tract

6. निम्न में से आपको कोई समस्या तो नहीं है ?

1. भूख कम लगना/ वजन कम होना
2. बदहजमी/ पेट में गैस बनना
3. दस्त
4. उल्टी
5. कब्ज
6. पेट में जलन
7. अन्य पाचन संबंधित (उल्लेख करें)

Cardiovascular system

7. निम्न में से आपको कोई समस्या तो नहीं है ?

1. रक्तचाप संबंधित समस्या
2. छाती में दर्द
3. अन्य (उल्लेख करें)

8. क्या आपको कोई कैंसर की समस्या तो नहीं है ?

1. हाँ (उल्लेख करें)
2. नहीं

"ANALYSIS OF PESTICIDES IN WATER & SOIL SAMPLES"

A SHORT STUDY REPORT

Submitted to

M/S India Pesticides Limited (IPL)

Dewa road, Lucknow

By

**CSIR-Indian Institute of Toxicology
Research (CSIR-IITR)**

**Vishvigyan Bhawan, 31, Mahatma Gandhi
Marg, Lucknow**

April 2021

1 | Page

Project Team members

CSIR-IITR, Lucknow

1. Dr. K. C. Khulbe
2. Dr. A. K. Yadav

IPL, Lucknow

1. Mr. A. K. Gupta
2. Dr. R. P. Singh
3. Mr. Deepak Verma

UPPCB- Regional Office, Lucknow

1. Mr. K. K. Chaudhari

Preamble

In last few decades, to control the pests/insects and increase the agricultural productivity, varieties of pesticides have been developed and are currently in widespread use. Majority of them are toxic, not only for the pests/insects but also to humans. These toxic effects raises the concerns of controlled uses and prevalence data on pesticides. Hexachlorocyclohexane (HCH), is the most abundant organochlorine compound remaining in the atmosphere and is also found in water. Although the use of HCH was prohibited a long time ago, it still can be found in the environment because of its high chemical stability (Yang et. al., 2016).

M/s India Pesticides Limited (IPL), Dewa Road, Lucknow approached CSIR-IITR, Lucknow (vide letter No. IPL/F&S/210 dated 09.11.2020) to conduct a study on the prevalence of alpha, beta, gamma and delta hexachlorocyclohexane (HCH) in the soil and water samples on the specified locations adjoining to IPL site. Accordingly, all the preparations were made and above monitoring and analysis work was carried out in the month of January 2021. Finally, the report is prepared based on the analysis report of individual water and soil samples collected from various locations. CSIR-IITR, Lucknow, appreciates the presence and cooperation of the IPL, Lucknow and Regional office-UPPCB for providing the assistance and logistics required for the sampling.

Sample collection

As per the request letter received from IPL, an action plan was agreed with IPL and UPPCB representatives for collection of water and soil samples on 18th and 22nd January 2021, respectively. Different hand pumps/submersibles and soil sites were marked with their geographic locations (longitude and latitude); please refer to the

table 1 and 2. The soil samples were taken from either 3.0 meter (four samples of IPL site and old site at Dewa road) or 1.5 meter (remaining six samples) depth, as suggested, for which excavation arrangement was done by IPL. Total 13 ground water and 10 soil samples were collected and sealed in the individual containers in the presence of the representatives from Regional office UPPCB, CSIR-IITR and IPL.

P.S.: A representative sample collection proforma is being attached at the end of this report which gives details of sampling stations.

About IPL, Dewa Road, Lucknow

IPL is a pesticide manufacturing factory located at UPSIDC, Industrial Area, Chinhat, Dewa Road, Lucknow since 1992 and is manufacturing technical pesticides presently. IPL informed that hazardous waste generated previously was stored in IPL premises as well as in old brick kiln site at Dewa road, Distt.-Barabanki, which was later on send to TSDF at Kanpur Dehat as per direction of UPPCB, Lucknow and there is no hazardous waste like muck lying anywhere outside the IPL Dewa road site.

Table 1: Sampling coordinates for groundwater samples

S. No.	Sample Reference ID	Sampling Coordinates (Latitude & Longitude)
1	IPL/US	26.91221 & 81.07017
2	IPL/DS	26.91984 & 81.06302
3	Deva road/US	27.00952 & 81.14806
4	Deva road/DS	27.00311 & 81.14864
5	Palhari/Reference	26.93190 & 81.07230
6	Palhari/US	26.99650 & 81.14328
7	Palhari/DS	26.99606 & 81.14294
8	Chucker/Reference	26.92680 & 81.06783
9	Chucker/US	26.92638 & 81.06828
10	Chucker/DS	26.92667 & 81.06754
11	Uttardhauna/Reference	26.89052 & 81.06232
12	Uttardhauna/US	26.88640 & 81.05591
13	Uttardhauna/DS	26.87991 & 81.05559

Note: It is to mention that all the above hand pumps/ bore wells water is being used for drinking and other purposes by nearby people and no complaint was received regarding any adverse effect on them (Source of information: IPL)

Table 2: Sampling coordinates for soil samples

S.No.	Sample Reference ID	Sampling Coordinates (Latitude & Longitude)
1	IPL/soil 1	26.91958 & 81.06304
2	IPL/soil 2	26.91256 & 81.07058
3	Deva road/soil 1	27.00903 & 81.14841
4	Deva road/soil 2	27.00280 & 81.14830
5	Palhari/Reference	26.99590 & 81.14272
6	Palhari/soil	26.99660 & 81.14321
7	Chucker/Reference	26.92666 & 81.06728
8	Chucker/soil	26.92659 & 81.06747
9	Uttardhauna/Reference	26.88640 & 81.05560
10	Uttardhauna/soil	26.87970 & 81.05671

Sample preparation

The soil samples were air-dried for 5 days and then oven-dried until constant weight was obtained before processing the samples for analysis. They were then finely grounded and sub-samples were taken for analysis. Both the water and soil samples were stored as per the good storage practices for further processing. Samples for analysis were prepared as per the USEPA method (Method 8081B: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography, part of Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (PDF); 57 pp, 307 K, February 2007) with slight required modifications. In short, the water and soil samples were subjected to liquid-liquid extraction and solid-liquid extraction, respectively, to extract the target analytes from respective samples. The extracts were filtered through 0.22 μ filter and carefully transferred into 2 ml standard opening vials prior to gas chromatographic analysis.

Analysis method

The prepared samples were analysed and quantified on the Gas chromatograph equipped with electron capture detector (GC-ECD) as per the USEPA recommended method (Method 8081B: Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography, part of Test Methods for Evaluating Solid Waste, Physical/Chemical Methods (PDF); 57 pp, 307 K, February 2007). Fused silica capillary column HP-5, 30 m x 0.32 mm x 0.25 μ m was used for the analysis. The injector and detector temperature were set at 250 and 300°C, respectively. The oven temperature was programmed to ramp from 170 to 220°C, at the rate of 5°C/min. Nitrogen was used as carrier gas at a flow rate of 0.8 ml/min and detector make-up gas of 30 ml/min.

Analysis results

Table 3: Soil Samples

S.No.	Sample Reference ID	Sampling Coordinates (Latitude & Longitude)	Concentration (ppb)*			
			α -HCH	β -HCH	γ -HCH	δ -HCH
1	IPL/soil 1	26.91958 & 81.06304	0.85	0.88	0.57	0.06
2	IPL/soil 2	26.91256 & 81.07058	0.28	ND	0.27	0.12
3	Deva road/soil 1	27.00903 & 81.14841	0.50	1.85	0.33	0.34
4	Deva road/soil 2	27.00280 & 81.14830	0.48	0.98	ND	0.23
5	Palhari/Reference	26.99590 & 81.14272	0.17	ND	0.29	0.48
6	Palhari/soil	26.99660 & 81.14321	0.29	ND	0.26	0.27
7	Chucker/Reference	26.92666 & 81.06728	ND	ND	0.30	0.48
8	Chucker/soil	26.92659 & 81.06747	0.28	ND	0.23	ND
9	Uttardhama/ Reference	26.88640 & 81.05560	1.06	ND	0.32	1.32

10	Uttardhauna/soil	26.87970 & 81.05671	ND	ND	0.22	ND
----	------------------	------------------------	----	----	------	----

*Analysis was done on GC-ECD instrument
ND-not detected

Table 4: Water Samples

S.No.	Sample Reference ID	Sampling Coordinates (Latitude & Longitude)	Concentration (ppb)*			
			α -HCH	β -HCH	γ -HCH	δ -HCH
1	IPL/US	26.91221 & 81.07017	ND	0.04	ND	0.01
2	IPL/DS	26.91984 & 81.06302	ND	0.02	ND	0.02
3	Deva road/US	27.00952 & 81.14806	ND	0.02	ND	ND
4	Deva road/DS	27.00311 & 81.14864	ND	0.02	ND	ND
5	Palhari/Reference	26.93190 & 81.07230	0.01	0.02	ND	ND
6	Palhari/US	26.99650 & 81.14328	ND	0.01	ND	ND
7	Palhari/DS	26.99606 & 81.14294	ND	0.02	ND	ND
8	Chucker/Reference	26.92680 & 81.06783	ND	0.01	ND	0.01

9	Chucker/US	26.92638 & 81.06828	ND	0.03	ND	ND
10	Chucker/DS	26.92667 & 81.06754	ND	0.02	ND	ND
11	Uttardhauna/ Reference	26.89052 & 81.06232	ND	0.02	ND	0.01
12	Uttardhauna/US	26.88640 & 81.05591	ND	0.01	ND	ND
13	Uttardhauna/DS	26.87991 & 81.05559	ND	0.02	ND	0.02

*Analysis was done on GC-ECD instrument
 US-Upstream; DS-Downstream; ND-not detected

Handwritten signature